वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

UKPCB

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एस.पी. सुबुद्धि
आई.एफ.एस.
सदस्य सचिव

आनन्द वर्द्धन
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

वार्षिक रिपोर्ट
2020–21

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरा देवी पर्यावरण भवन
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून (उत्तराखण्ड)
Web: www.ueppcb.uk.gov.in,
Email: msukpcb@yahoo.com

UTTARAKHAND
UKPCB

अनुक्रमणिका

1 परिचय — 1

2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आहुत बोर्ड बैठक — 3

3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य — 11

4 प्रयोगशाला एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम — 15

5 राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम — 24

6 संयुक्त घरेलु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की अनुश्रवण कार्यक्रम — 26

7 परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम — 35

8 ध्वनि अनुश्रवण कार्यक्रम — 43

9 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन — 44

10 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यक्रम 48

11 ई–कचरा प्रबंधन कार्यक्रम 49

12 परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यक्रम 50

13 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम 51

14 उद्योगों के स्थापना सहमति हेतु ओ0सी0एम0एस0 की व्यवस्था एवं उद्योगों की अनुपालन की स्थिति 53

15 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के अन्तर्गत लोक सुनवाई 00

16 प्रचार–प्रसार सम्बन्धित विवरण 57

17 उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये विशेष कार्य 59

18 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक बजट 72

1

परिचय

वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 7756/I–व.ग्रा.वि./2001–13 (5)/2000 दिनांक 26.12.2001 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2001 में 'उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' का गठन किया गया।

उपरोक्त के उपरान्त, वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 153(1)2/व.ग्र.वि./2002.13(5)/2000 दिनांक 01.05.2002 द्वारा 'उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' का पुर्नगठन किया गया।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1100(1)1(2)/व.ग्र.वि./2003.13(5)/2000/टी.सी. दिनांक 14.07.2003 द्वारा उत्तरांचल प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड का नाम परिर्वतित कर 'उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड' किया गया।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 967/XXXVII–19–13(05)/2000 दिनांक 11.12.2019 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रण बोर्ड का नाम परिवर्तित कर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' किया गया।

जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 के धारा–4 के अनुसार राज्य सरकार को बोर्ड के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 967/XXXVIII-19-13(05)/2000 दिनांक 11.12.2019 द्वारा निम्न महानभावों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।

शासकीय सदस्य (कुल–05)

(1) निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव स्तर से कम न हो।

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो कि अपर सचिव के स्तर से कम न हो।

(4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो कि अपर सचिव स्तर से कम न हो।

(5) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो कि अपर सचिव स्तर से कम न हो।

स्थानीय निकाय के सदस्य (कुल–05)

(1) उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(2) उपाध्यक्ष, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
(3) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
(4) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कोटद्वार।
(5) मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर।

अशासकीय सदस्य (कुल–03)

(1) अध्यक्ष, कुमाऊ गढ़वाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज।
(2) आई0आई0टी0 रूड़की के नामित प्रतिनिधि (वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञता वाले)।
(3) दून विश्वविद्यालय, देहरादून के नामित प्रतिनिधि (वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञता वाले)।

निगमों के प्रतिनिधि (कुल–02)

(1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राजकीय औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल)।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

2

बोर्ड बैठकों का विवरण

वर्ष 2020–21 अवधि में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 03 बैठकें क्रमशः 24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2020, 25वीं बोर्ड बैठक 21.10.2020 एवं 26वीं बोर्ड बैठक 23.02.2021 को आहूत की गई हैं। उक्त तीनों बोर्ड बैठकों में लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैं।

24वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.06.2020 में निम्न निर्णय लिये गये

कार्य सूची सं0 24.1	बोर्ड की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के 23वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं परसदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड के सदस्यों को बैठक में अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्देश के साथ बोर्ड की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन दिया गया। बोर्ड में निर्णय लिया गया कि आश्रम/धर्मशालाओं से सहमति प्राप्त करने हेतु स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति शुल्क 31 मार्च, 2023 तक नहीं लिया जायेगा। अध्यक्ष बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारी विशेषअभियान चलाकर 31.07.2020 तक समस्त आश्रम/धर्मशालाओं से स्थापनार्थ सहमति/ संचालनार्थ सहमति हेतु आवेदन करवायें। सदस्य सचिव के अनुरोध के क्रम में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति एवं प्राधिकार शुल्कों का नये रूप से निर्धारण किया जाय जो कि पाल्यूशन इन्डेक्स पर आधारित हो। Non industrial श्रेणी के सहमति एवं प्राधिकार शुल्क का निर्धारण का आधार पृथक रूप से किया जाय। 23वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया बोर्ड की संरचना को भी उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय।

कार्य सूची सं0 24.2	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020–21 आय–व्यय का विवरण निम्नानुसार है	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020–2021 की वार्षिक बजट बोर्ड के सदस्यों के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के सदस्यों द्वारा उक्त वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 24.3	कार्य सूची सं0 24.3 उत्तराखण्ड राज्य में राज्य वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये जाने तथा कार्यक्रम में अनुसार उत्तराखण्ड में नये वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के समक्ष राज्य में "राज्य वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्देष दिये गये कि कार्यक्रम में नगर निगम, कोटद्वार को भी सम्मिलित किया जाय तथा यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किया जाय।
कार्य सूची सं0 24.4	उत्तराखण्ड राज्य में राज्य जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम की स्थापना तथा इसके अन्तर्गत नये जल गुणवत्ता केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के समक्ष राज्य में "राज्य जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम" संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि राज्य के प्रयोगशाला में नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित सामान्य परिचारकों (35) के विश्लेषण की व्यवस्था 31.12.2020 तक पूर्ण कर लिया जाय तथा प्रयोगशाला के स्थापना की कार्यवाही त्वरित गति से किया जाय।
कार्य सूची सं0 24.5	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईट भट्टों के Siting criteria के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईट भट्टों कैपजपदह Siting criteria के निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया समयक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा ईट भट्टों हेतु तैयार की गयी Siting criteria में आवश्यक संशोधन करते हुए अध्यक्ष बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त खनन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाय कि मा0 एन0 जी0 टी0 के निर्देश के क्रम में खनन विभाग उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर राज्य में ईट भट्टों के स्थापनार्थ हेतु Siting criteria निर्धारण किये जाने हेतु कार्यवाही करे।
कार्य सूची सं0 24.6	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईंधन नीति प्रख्याापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	उत्तराखण्ड राज्य हेतु ईधन नीति प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन दिया गया। 1. पेट कोक एवं फर्नेश आयल से अन्य अनुमोदित ईधन में परिवर्तन किये जाने की अवधि को वर्ष 31.03.2024 निर्धारित किया जाय। 2. कोयला, लकड़ी, पिरूल (Pine Needle) एवं अन्य कृषि आधारित ईधन सामग्री (Agriculture Waste) को अनुमोदित ईधन में शामिल किया जाये।

कार्य सूची सं0 24.7	उत्तराखण्ड राज्य में अवैध खनन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड राज्य हेतु अवैध खनन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि : अवैध खनन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित निर्णय लिये जाने से पूर्व खनन विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिमत/अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाय एवं उसके उपरान्त अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किया जाय।
कार्य सूची सं0 24.8	राज्य बोर्ड हेतु गैर शासकीय नामित सदस्यों एवं समय समय पर विभिन्न समिति में आमंत्रित विशेषज्ञ सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदन दिया गया।
कार्य सूची सं0 24.9	राज्य हेतु जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अन्तर्गत जिलावार इन्वेट्री बनाये जाने हेतु वित्तीय अनुमोदन के सम्बन्ध में।	विचार—विमर्श के उपरान्त बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि यह कार्य बोर्ड के स्तर से ही 01 एस0आर0एफ0 एवं 01 जे0आर0एफ0 को नियमानुसार 01 वर्ष के लिये आबद्ध कर सम्पन्न किया जाये।
कार्य सूची सं0 24.9	बोर्ड द्वारा राज्य में 02Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station स्थापित किये जाने हेतु ई—टेंडर से प्राप्त निविदाओं पर वित्तीय अनुमोदन के सम्बन्ध में।	बोर्ड सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यय एवं उससे प्राप्त उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इसे स्थापित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। भविष्य में इसकी आवश्यकता होने पर पुनः विचार किया जायेगा। वर्तमान में बोर्ड द्वारा यथा आवश्यक Manual Monitoring Station अध्यक्ष, बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर स्थापित किया जाय।
कार्य सूची सं0 24.11	होटल आश्रम धर्मषालाओं एवं एम0एस0एम0ई0 उद्योगों को सहमति हेतु आवेदन करने के लिए पूर्व में निर्धारित अवधि 31.03.2020 को 31.07.2020 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के सदस्यों द्वारा कायोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिया गया कि बोर्ड द्वारा विशेष अभियान चलाकर निर्धारित अवधि तक ईकाईयों को बोर्ड की सहमति प्रक्रिया के दायरे में लाने की कार्यवाही की जाये। इसके साथ—साथ बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अभी तक स्थापनार्थ/ संचालनार्थ/प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं किये गये होटल/चिकित्सालय/बोर्ड गठन से पूर्व स्थापित एम0एस0एम0ई0 द्वारा 31.07.2020 तक आवेदन करने की स्थिति में उनसे 31.03.2020 तक का शुल्क न लिया जाय।

कार्य सूची सं0 24.12	मा0 हरित अभिकरण के आदेश के क्रम में जिला एवं राज्य पर्यावरणीय योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में जी0 बी0 पन्त हिमालयन पर्यावरणीय प्रबंधन संस्थान, कोसी कटारमल से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में।	मा0 हरित अभिकरण के आदेश के क्रम में जिला एवं राज्य पर्यावरणीय योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में जी0बी0पन्त हिमालयन पर्यावरणीय प्रबंधन संस्थान, कोसी कटारमल से प्राप्त प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में संस्थान के द्वारा उक्त कार्य हेतु रू0 82,60,00/– वित्तीय प्रस्ताव दिया गया था। तदोपरान्त दिनांक 03.06.2020 को विडियो काफ्रेसिंग के माध्यम से आहुत बैठक में संस्थान को सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर कार्यशाला आयोजन किये जाने तथा सम्बन्धित जिलों से सूचनायें प्राप्त करने हेतु अधिक मानव शक्ति लिये जाने हेतु आग्रह किया गया तथा संस्थान से इस सम्बन्ध में पुनरक्षित वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया। वर्तमान में संस्थान के द्वारा कुल रू0 1,42,55,816/– का वित्तीय प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। समयक विचारोपरान्त बैठक में निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में संस्थान से वित्तीय प्रस्ताव पर Negotiation कर प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया गया।
कार्य सूची सं0 24.13	कोविड–19 के कारण लागू लाकडाउन के क्रम में होटल आश्रम धर्मशालाओं/ चिकित्सालयों/ खनन पट्टों /उद्योगों जिनकी सहमति/ प्राधिकार वैधता अवधि 31.03.2020 थी को अग्रेत्तर पूर्व शर्तों के साथ 30.06.2020 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के सदस्यों द्वारा उक्त पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
कार्य सूची सं0 24.14	वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु Non- attainment शहरों हेतु Emission Inventory and Source Apportionment Study कराये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड राज्य में वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु Non-attainment शहरों हेतु Emission Inventory and Source Apportionment Studyक राये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि Non Attainment City काशीपुर हेतु TERIds माध्यम से अध्ययन करायी जाय तथा Non Attainment City देहरादून के लिये आई0आई0टी0, रूड़की से प्रस्ताव प्राप्त कर उनके माध्यम से अध्ययन कराया जाय। उपरोक्त अध्ययन के लिये आवश्यक वित्तीय अनुमोदन हेतु अध्यक्ष, बोर्ड को अधिकृत किया गया। ऋषिकेश शहर हेतु अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए अध्यक्ष, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।
कार्य सूची सं0 24.15	परिसंकटमय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियम 16(2) के अन्तर्गत परिसंकटमय तथा अन्य अपशिष्टों के शोधन भण्डारण और निपटान की सुविधा (Common Hazardous and other waste treatment storage and Disposal facility) के डिजाइन व लेआउट के	विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्य सूची सं0 24.16	प्रदेश में संचालित नारंगी एवं हरित श्रेणी के उद्योगों की संचालन सहमति की वैद्यता अवधि अग्रेत्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित नारंगी एवं हरित श्रेणी के उद्योगों की संचालन सहमति की वैद्यता अवधि अग्रेत्तर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर समयक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सभी श्रेणी के उद्योगों के सहमति वैधता अवधि 31.03.2021 बढ़ाया जाय तथा 10 करोड़ लागत तक के विनियोजन के उद्योगों (Mining Sector को छोड़कर) की सहमति / प्राधिकार नवीनीकरण शुल्क माफ कर दी जाय तथा इसे अधिक परियोजना लागत उद्योगों से सहमति / प्राधिकार शुल्क यथावत लिया जाय। बहुवर्षिय सहमति के अन्तर्गत जिन ईकाईयों द्वारा वर्ष 2020–21 का सहमति पूर्व से लिया जा चुका है उनका वर्ष 2020–21 का सहमति शुल्क (Mining Sector के अतिरिक्त 10 करोड़ लागत तक के विनियोजन के उद्योग) आगामी वर्ष में समायोजित किया जाय।
कार्य सूची सं0 24.16	कोविड–19 संक्रमण के परिपेक्ष्य में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड एवं मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड से प्राप्त निर्देश के क्रम में बोर्ड द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थाओं को अवमुक्त किये गये धनराशि के कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं यह निर्देश दिया गया कि बोर्ड के पास जमा धनराशि को बोर्ड द्वारा किस–किस मद में व्यय किया जा सकेगा (बोर्ड की दिन प्रतिदिन व्यय को एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिये आवश्यक व्यय को छोड़कर) के सम्बन्ध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
कार्य सूची सं0 24.18	बोर्ड द्वारा खनन कार्य हेतु दिये जाने वाले संचालनार्थ सहमति की समयावधि व सहमति शुल्क हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सुविचारित प्रस्ताव यथा प्रस्तावित संशोधनों के साथ आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

25वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.2020 में निम्न निर्णय लिये गये

कार्य सूची सं0 25.1	बोर्ड की 24वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	24 वीं बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं मा0 सदस्य सभी बिन्दुओं पर किये जा रहे अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत हुए।
कार्य सूची सं0 25.2	गैर औद्योगिक संस्थानों (Non Industrial Operations as defined by CPCB) जैसे कि रेलवे स्टेशन, डेरी / गोशाला, एयरपोर्ट एण्ड कार्मिशयल स्ट्रीप, बिल्डिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्रोजेक्ट, स्क्रैपिंग सेंटर, बोर्डिंग स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थान / हास्टल / पी0जी0 / गेस्ट हाउस इत्यादि को बोर्ड के कन्सेन्ट मेनेजमेन्ट के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुये स्थापनार्थ सहमति / संचालनार्थ सहमति शुल्क निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 30.04.2020 को जारी Non Industrial Operations को बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया। उक्त सूची में अंकित समस्त प्रक्रियाओं हेतु सहमति शुल्क निर्धारण करने हेतु सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया एवं यह निर्देश दिया गया कि उपसमिति द्वारा समस्त प्रक्रियाओं हेतु युक्तियुक्त प्रस्ताव बनाकर अध्यक्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

कार्य सूची सं0 25.3	उत्तराखण्ड राज्य में इन्डक्शन फर्नेश उद्योगों में स्थापित वर्तमान वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को उच्चीकृत वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था से प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त इण्डक्शन फर्नेश उद्योगों में Moveable Hood के स्थान पर Side draft hood में अनिवार्य रूप से परिवर्तित करने हेतु उद्योगों को 31.03.2022 तक का समय दिये जाने का निर्णय लिया गया।
कार्य सूची सं0 25.4	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को विभिन्न कार्यों में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गयी। निर्णय लिया गया कि इस हेतु सुसंगत नियमावली बनाया जाये। नियमावली बनाने हेतु सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठन किये जाने का भी निर्णय लिया गया। उपसमिति में वित्त नियंत्रक एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0) को सदस्य के रूप में नामित किया गया। समिति द्वारा नियमावली बनाकर अध्यक्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
कार्य सूची सं0 25.5	बोर्ड द्वारा हरिद्वार में स्थित विद्युत शवदाह गृह के पुनः निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ किया गया:– 1. विद्युत शवदाह गृह को कम से कम 05 वर्ष के लिए नगर निगम, हरिद्वार द्वारा अपने संसाधनों से संचालन करनी होगी। बोर्ड द्वारा नगर निगम को धनराशि उपलब्ध कराने से पूर्व इस प्रकार का प्रमाण पत्र नगर निगम से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 2. यदि विद्युत शवदाह गृह हेतु नगर निगम को किसी अन्य मद से अनुदान मिलता है तो उतनी धनराशि बोर्ड द्वारा दिये जाने वाली धनराशि से कम कर ली जायेगी। 3. बोर्ड व नगर निगम के मध्य अनुबंध किया जायेगा, जिसमें उक्त बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा।
कार्य सूची सं0 25.6	No increase in pollution load के सम्बन्ध में गठित समिति के समक्ष प्राप्त होने वाले प्रस्ताव हेतु शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निम्नानुसार प्रोसेसिंग फीस के रूप में शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. परियोजना लागत 100 करोड से अधिक होने पर — रू0 100,000 / – 2. परियोजना लागत 50–100 करोड़ तक — रू0 50,000 / – 3. परियोजना लागत 50करोड़ से कम होने पर — रू0 25,000 / –
कार्य सूची सं0 25.7	उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित / संचालित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु सहमति शुल्क में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित / संचालित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु वर्ष 2020–21 तक का स्थापनार्थ / संचालनार्थ सहमति शुल्क में शतप्रतिशत छूट दिया जायेगा।
कार्य सूची सं0 25.8	देवप्रयाग टिहरी में घरेलू उत्प्रवाह एकत्रण करने हेतु शहरी विकास विभाग द्वारा प्रेषित वित्तीय सहायता का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	शहरी विकास निदेशालय का प्रस्ताव का अनुमोदन कर उन्हें एक सैप्टिक वाहन के खरीद हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित संस्थान द्वारा, बोर्ड स्तर से उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि से क्रय किये जाने वाले वाहन का समुचित संचालन किया जाये व इस हेतु रिर्काड का अनुश्रवण भी किया जाये।

कार्य सूची सं0 25.9	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सेवानिवृत्त अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र को सलाहकार/परामर्शी के रूप में आबद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव।	वर्तमान में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
कार्य सूची सं0 25.10	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्षिक रिपोर्ट में सम्बन्धित वर्ष की आडिटेड बैंलेस शीट, अडिटर द्वारा दिए गए कमेन्ट व कमेन्ट पर अनुपालन की स्थिति को समाविष्ट करते हुए वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित की जाये।

26वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23.02.2021 में निम्न निर्णय लिये गये

कार्य सूची सं0 26.1	बोर्ड की 25वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	25 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 26.2	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड में विभिन्न अधिकारियों हेतु वित्तीय एवं प्रशासानिक अधिकार का प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड में निर्णय हुआ कि (क) बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को किस प्रकार एवं किस–किस मद में प्रयोग किया जायेगा के निर्धारण हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाये। 1. संयुक्त निदेशक, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन। 3. वित्त नियंत्रक, यूकेपीसीबी, बोर्ड मुख्यालय। 4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0) यूकेपीसीबी, बोर्ड मुख्यालय। समिति द्वारा अपनी आख्या/प्रस्ताव 01 माह के अन्दर तैयार की जायेगी जिसे आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। ख) वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में पुनः सुविचिरित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया।
कार्य सूची सं0 26.3	गैर औद्योगिक श्रेणी में चिन्हित प्रक्रियाओं के वर्गीकरण, श्रेणी एवं सहमति शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त गैर औद्योगिक श्रेणी हेतु निर्धारित सहमति शुल्क वर्ष 2021–22 से लागू होगा। ऐसे गैर औद्योगिक प्रक्रियों जो उपरोक्त प्रस्ताव पारित होने से पूर्व संचालित हैं उन्हें पूर्व का कोई सहमति शुल्क नहीं देना होगा एवं सहमति शुल्क की देयता 01.04.2021 से होगी। उपरोक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों हेतु सहमति शुल्क के निर्धारण के आधार को वर्तमान व्यवस्था के बजाय Pollution index एवं विभिन्न श्रेणियों में प्रदूषण के लोड के आधार पर किया जाय। जिस हेतु बोर्ड के अधिकारियों की समिति बनाते हुए सुविचरित प्रस्ताव अगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

कार्य सूची सं0 26.4	होटलों / आश्रमों / धर्मशालाओं के सहमति प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 26.5	राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों / संस्थानों / शासकीय पशु चिकित्सालयों के सहमति / प्राधिकार प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कार्य सूची सं0 26.6	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवनिर्मित भवन (गौरा देवी पर्यावरण भवन) में बोर्ड मुख्यालय के संचालन के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माह मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के साथ मुख्यालय भवन का संयुक्त निरीक्षण रखा जाये जिसके आधार पर 01.04.2021 से बोर्ड मुख्यालय भवन का Handover लिया जायेगा।
कार्य सूची सं0 26.7.1	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2021–22 के बजट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित रू0 28.89 करोड़ के बजट का अनुमोदन किया गया।

3

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 के संदर्भ में, राज्य बोर्ड को निम्नलिखित कर्तव्य हैः–

1. वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
2. वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये किसी भी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
3. वायु प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्र करना और उनका प्रसार करना।
4. वायुमंडल में के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से ससंबंधित कार्यक्रम में लगे हुए या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे संबंधित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।
5. केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के बारे में अधिकथित मानको को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों तथा आटोमाबाइल से वायुमंडल में वायु प्रदूषण के उत्सर्जन के लिए मानक अधिकथित करना या किसी पोत या किसी वायुमान से भिन्न किसी भी अन्य स्रोत से वायुमंडल में किसी वायु प्रदूषक के उत्सर्जन के लिये माने अधिकथित करनाय परन्तु ऐसे औद्योगिक संयंत्रों से वायुमण्डल में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के परिणाम और सम्मिश्रण को ध्यान में रखते हुए भिन्न–भिन्न औद्योगिक संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के लिये इस खण्ड के अधीन भिन्न–भिन्न मानक अधिकथित किये जा सकेगें।
6. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकारद्वारा विहित किये जाए या उसे समय–समय पर सौपे जाएं।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होगें –

1. राज्य में सरिताओं और कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना
2. जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से सम्बद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना
3. जल प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढावा देना, उनका संचालन करना और उनमें भाग लेना
4. जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना उससे संबंधित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना
5. विभिन्न क्षेत्र की मृदा, जलवायु और जलस्रोतों की विशेष दशाओं का और विशेष रूप से सरिताओं और कुओं में जल के बहाव की विद्यमान प्रकृति का, जिसके कारण तनुकरण की न्यूनतम डिग्री भी सम्भव नहीं है ध्यान रखते हुए मल और व्यावसायिक बहिःस्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियां निकालना

पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवतन मंत्रालय द्वारा विभिन्न अधिसूचना एवं नियम प्रख्यापित किये गये है। इन अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निधारित दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है

क्रम सं	अधिनियम / नियम	दायित्व
1.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974	1. किसी भी प्रदूषणकारी क्षेत्रों एवं संस्थानों का निरीक्षण करना तथा सूचनायें प्राप्त करना। 2. किसी भी प्रदूषित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर विशलेषण करना। 3. उद्योगों / नगर निकायों / अस्पतालों / होटलों इत्यादि का निरीक्षण करना तथा इनके संचालन हेतु सहमति प्रदान करना / इनकार करना। 4. पर्यावरणीय नियमों का उल्लघंन करने वाले उद्योगों / नगर निकायों / अस्पतालों / होटलों इत्यादि के विरूद्ध कारण बताओं एवं बंदीकरण आदेश निर्गत करना। 5. प्रत्येक वर्ष में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना।
2.	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981	1. उद्योगों / नगर निकायों / अस्पतालों / होटलों इत्यादि का निरीक्षण करना तथा इनके संचालन हेतु सहमति प्रदान करना / इनकार करना। 2. किसी भी प्रदूषणकारी क्षेत्रों एवं संस्थानों का निरीक्षण करना तथा सूचनायें प्राप्त करना। 3. किसी भी प्रदूषित उत्सर्जन का नमूना एकत्रण कर विशलेषण करना। 4. पर्यावरणीय नियमों का उल्लघंन करने वाले उद्योगों / नगर निकायों / अस्पतालों / होटलों इत्यादि के विरूद्ध कारण बताओं एवं बंदीकरण आदेश निर्गत करना। 5. प्रत्येक वर्ष में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना।
3.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986	इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न नियम प्रख्यापित किये गये है।
	क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016	1. अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण स्थलों के लिए अनुसूची और अनुसूची के अधीन यथा विर्निदिष्ट पर्यावरणीय मानको को मानिटर करना तथा शर्त का पालन करना। 2. स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से प्रारूप 1 में आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रस्ताव का परीक्षण करना और ऐसी जांच करना जो उचित समझा जाए 3. स्थानीय निकायों या किसी सुविधा प्रचालक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य अभिकरण को प्रारूप 2 में 60 दिन की अवधि में प्राधिकार निर्गत करना। 4. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय अपशिष्ट भंडारण सुविधा में अपशिष्ट उत्पादाकों द्वारा एकत्रित घरेलु परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित प्रहस्तन और निस्पादन के लिए स्थानीय निकायों को निर्देश देगा।

ख) जैव चिकत्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016	1. अधिभोगियों एवं जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के जनन उपचार और निपटान संबंधी आकडों की सूची बनाना। 2. निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना। 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले संस्थानों को नियम के अधीन प्राधिकार की मंजूरी और नवीनीकरण,निलंबन या अस्वीकृत या रद्दकरण करना। 4. प्रधिकार के विभिन्न शर्तो के अनुपालन की मानीटरिंग। 5. नियमों के उल्लंघन के लिए स्वास्थ्य संस्थानों के विरूद्व कार्यवाही करना। 6. राज्य में सलाहाकार समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन करना ।
ग) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016	1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रकरण, प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा। 2. प्रत्येक राज्य प्रदूषण बोर्ड या प्रदूषण समिति प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक इन नियमों के क्रियान्वयन पर प्ररूप–VI में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करेगा।
घ) ई–वैस्ट अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016	1. ई–वेस्ट की सूची तैयार करना। 2. विनिर्माता भंजन, पुनःचक्रकों और नवीनीकरणकर्ताओं को प्राधिकार प्रदान करना तथा उसका नवीनीकरण 3. ईपीआर प्राधिकार की निगरानी और अनुपालन करना। 4. भंजक, पुनःचक्रक / नवीनीकरणकर्ता का अनियमित निरीक्षण करना। 5. पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुनःचक्रण को बढावा देने के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। 6. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करना।

ड) परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016	1. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों की सूची तैयार करना। 2. प्राधिकार का दिया जाना एवं नवीनीकरण। 3. पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात एवं आयात सहित प्रधिकार के विभिन्न उपबंधों एवं शर्तो के अनुपालन एवं मानीटरिंग करना। 4. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्टों की उत्पत्ति को रोकने या कम करने या न्यून करने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। 5. इन नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध कार्यवाही करना।
ण) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016	1. संबंधित उद्योगों को रजिस्ट्रेशन प्रदान करना। 2. रजिस्ट्रेशन मे दिये गये शर्तों का अनुपालन एवं मानीटरिंग करना। 3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना।
च) कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016	1. सुविधा के संचालक को प्राधिकार निर्गत करना। 2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना।
पर्यावरण समाघात अधिनियम, 2006	परियोजना प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार परियोजना स्थल पर लोकसुनवाई आयोजित करना।

4

प्रयोगशाला एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में केन्द्रीय प्रयोगशाला, देहरादून एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला, काशीपुर व रूड़की के स्थापना हेतु रू0 16 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी है। वर्तमान में केन्द्रीय प्रयोगशाला, देहरादून की स्थापना कर दी गयी है तथा क्षेत्रीय प्रयोगशाला काशीपुर एवं रूड़की का कार्य प्रगति पर है।

राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नदी जल गुणवत्ता का अनुश्रवण का कार्य किया जाता है राज्य मे जल गुणवत्ता से संबंधित आंकडों का विशलेषण निमनानुसार है।

विष्णु प्रयाग जिला चमोली

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	अलकनन्दा नदी धौलीगंगा से मिलने से पूर्व	pH	7.23	8.00	0.28	7.68
		Dissolved Oxygen	9.0	11.0	0.75	10.42
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2
2	धौलीगंगा नदी अलकनन्दा नदी से मिलने से पूर्व	pH	7.18	8.08	0.31	7.62
		Dissolved Oxygen	8.40	10.80	0.91	9.85
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2
3	अलकनन्दा नदी संगम के बाद	pH	7.11	8.19	0.38	7.70
		Dissolved Oxygen	8.20	10.80	0.90	10.17
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2

अलकनन्दा नदी एवं धौलीगंगा नदी संगम स्थल, विष्णुप्रयाग

नन्दप्रयाग जिला चमोली

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	अलकनन्दा नदी नन्दाकिनी से मिलने से पूर्व	pH	7.72	8.29	0.19	7.90
		Dissolved Oxygen	8.80	10.00	0.39	9.54
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2
2	नन्दाकिनी नदी अलंकनन्दा नदी से मिलने से पूर्व	pH	7.58	8.13	0.21	7.84
		Dissolved Oxygen	8.80	10.20	0.53	9.62
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	13	50	13.52	24.42
3	अलकनन्दा नदी संगम के बाद	pH	7.66	8.00	0.12	7.86
		Dissolved Oxygen	9.60	10.80	0.43	10.20
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2

अलकनन्दा नदी एवं नंदाकिनी नदी संगम स्थल, नन्दप्रयाग

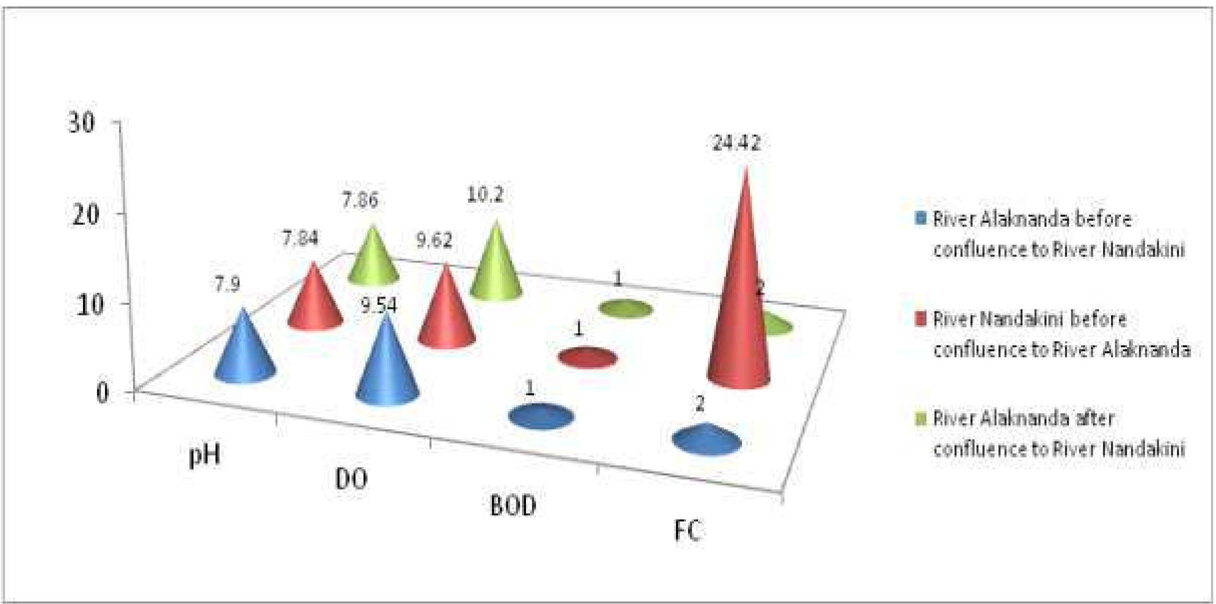

कर्णप्रयाग, जिला चमोली

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	अलकनन्दा नदी पिंडर नदी से मिलने से पूर्व	pH	7.19	8.24	0.41	7.76
		Dissolved Oxygen	9.40	10.00	0.25	9.71
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2
2	पिंडर नदी अलकनन्दा नदी से मिलने से पूर्व	pH	7.65	8.26	0.20	7.97
		Dissolved Oxygen	8.60	9.80	0.50	9.42
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	11.00	40.00	11.36	21.71
3	अलकनन्दा नदी संगम के बाद	pH	7.40	8.20	0.30	7.82
		Dissolved Oxygen	9.20	10.40	0.35	9.82
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	10.00	26.00	5.71	13.42

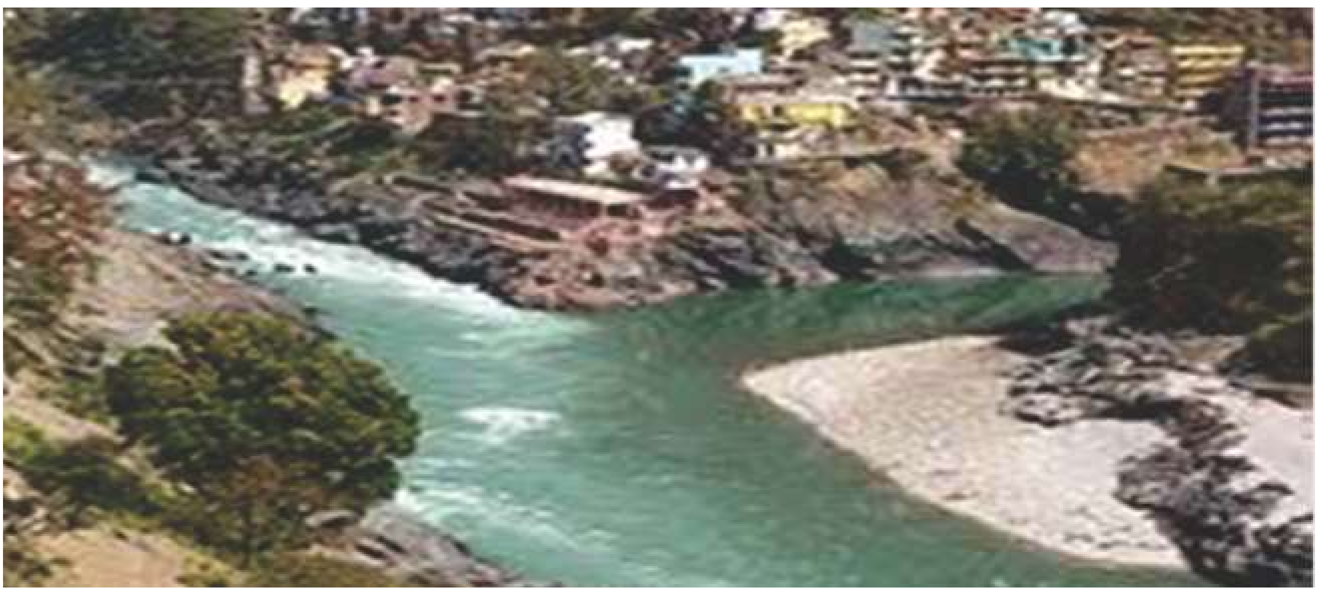

अलकनन्दा नदी एवं पिन्डर नदी संगम स्थल, कर्णप्रयाग

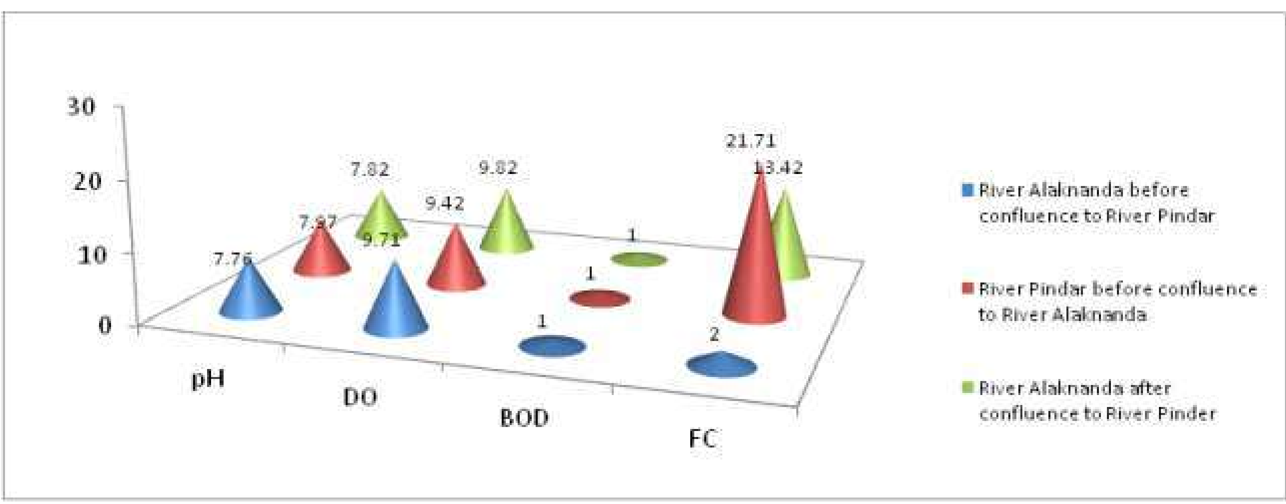

रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	मंदाकिनी नदी अलकनन्दा से मिलने से पूर्व	pH	7.20	8.25	0.33	7.61
		Dissolved Oxygen	9.40	10.40	0.39	9.97
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2
2	अलकनन्दा नदी मंदाकिनी नदी से मिलने से पूर्व	pH	7.02	8.16	0.40	7.57
		Dissolved Oxygen	9.20	10.80	0.60	9.91
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2
3	अलकनन्दा नदी संगम के बाद	pH	7.49	8.18	0.26	7.72
		Dissolved Oxygen	10.00	10.80	0.27	10.28
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2
4	मंदाकिनी नदी डाउनस्टीम अगस्तमुनि	pH	7.45	8.15	0.25	7.70
		Dissolved Oxygen	9.80	11.20	0.45	10.34
		Biological Oxygen demand	1	1	0	1
		Fecal Coliform	2	2	0	2

अलकनन्दा नदी एवं मंदाकिनी संगम स्थल, रूद्रप्रयाग

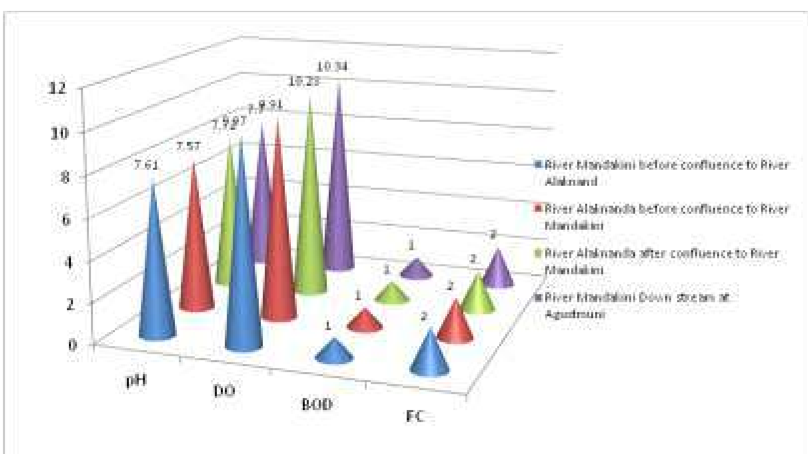

देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	भागीरथी नदी अलकनन्दा नदी से मिलने से पूर्व	pH	7.23	8.10	0.30	7.57
		Dissolved Oxygen	8.80	12.00	0.88	9.96
		Biological Oxygen demand	0.40	1.00	0.17	0.95
		Fecal Coliform	2	2	0	2
2	अलकनन्दा नदी भागीरथी नदी से मिलने से पूर्व	pH	7.00	8.14	0.37	7.64
		Dissolved Oxygen	9.00	11.40	0.82	10.16
		Biological Oxygen demand	0.60	1.00	0.11	0.96
		Fecal Coliform	2	2	0	2
3	गंगा नदी संगम के बाद	pH	7.30	8.28	0.26	7.69
		Dissolved Oxygen	9.00	11.80	0.65	10.41
		Biological Oxygen demand	0.80	1.00	0.05	0.98
		Fecal Coliform	2	2	0	2

अलकनन्दा नदी एवं भागीरथी नदी संगम स्थल, देवप्रयाग

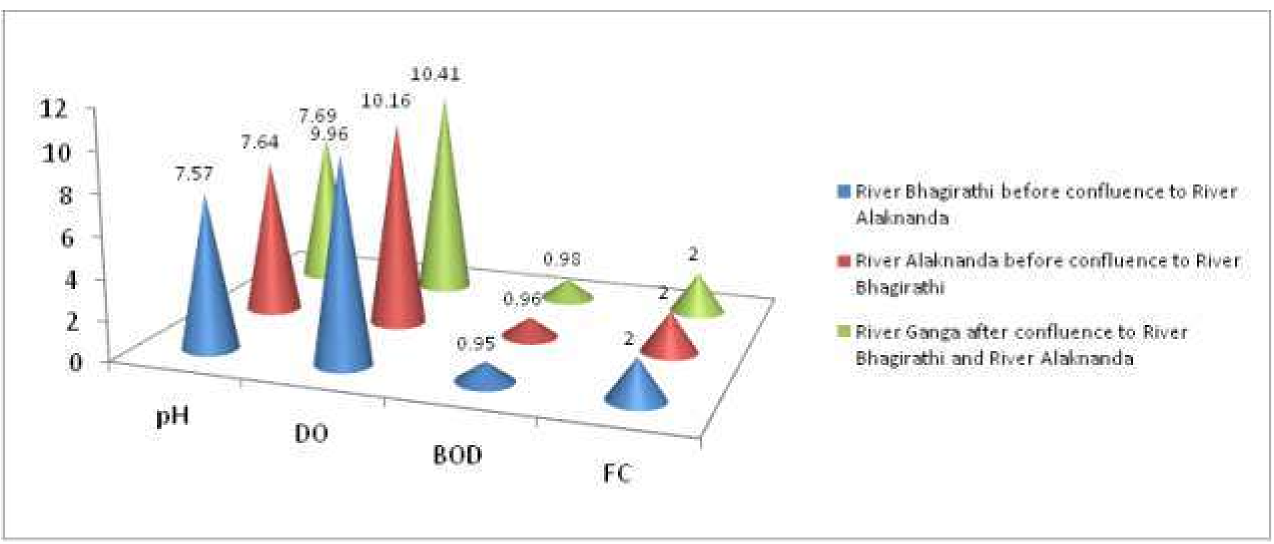

ऋषिकेश, जिला देहरादून

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	गंगा नदी अपस्ट्रीम लक्ष्मणझुला	pH	7.11	8.00	0.28	7.59
		Dissolved Oxygen	9.80	11.60	0.54	10.55
		Biological Oxygen demand	0.40	1.00	0.21	0.88
		Fecal Coliform	10.00	26.00	4.30	14.75
2	गंगा नदी डाउनस्ट्रीम रायवाला	pH	7.15	8.20	0.31	7.86
		Dissolved Oxygen	8.40	10.60	0.82	9.26
		Biological Oxygen demand	1.00	2.00	0.31	1.38
		Fecal Coliform	40.00	84.00	14.09	59.00
3	सौंग नदी डाउनस्ट्रीम बिरला गेस्ट हाउस	pH	6.86	8.32	0.39	7.52
		Dissolved Oxygen	8.00	9.80	0.51	8.93
		Biological Oxygen demand	1.00	1.20	0.10	1.08
		Fecal Coliform	14.00	40.00	6.86	25.41
4	गंगा नदी डाउनस्ट्रीम ऋषिकेश	pH	7.00	8.05	0.31	7.62
		Dissolved Oxygen	9.00	10.80	0.46	9.73
		Biological Oxygen demand	0.40	1.20	0.19	0.95
		Fecal Coliform	12.00	30.00	5.79	21.0

गंगा नदी, लक्ष्मणझुला, ऋषिकेश

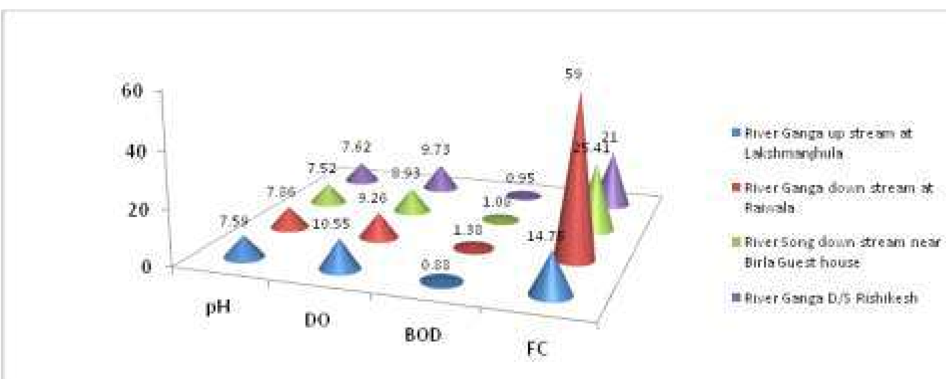

हरिद्वार, जिला हरिद्वार

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	अपर गंगा कैनाल, ललिताराव ब्रिज	pH	7.40	8.30	0.27	7.83
		Dissolved Oxygen	8.40	10.00	0.45	9.30
		Biological Oxygen demand	0.60	1.20	0.20	1.01
		Fecal Coliform	34.00	70.00	11.52	47.36
2	अपर गंगा कैनाल, ऋषिकुल ब्रिज	pH	7.20	8.34	0.33	7.76
		Dissolved Oxygen	8.00	10.20	0.68	9.11
		Biological Oxygen demand	0.80	1.40	0.16	1.07
		Fecal Coliform	30.00	70.00	11.03	42.72
3	अपर गंगा कैनाल, डाउनस्ट्रीम रूड़की	pH	6.82	8.20	0.39	7.67
		Dissolved Oxygen	8.00	10.20	0.66	9.33
		Biological Oxygen demand	1.00	1.60	0.19	1.25
		Fecal Coliform	30.00	84.00	16.37	56.58
4	अपर गंगा कैनाल, डाउनस्ट्रीम हर–की–पैड़ी	pH	7.30	8.33	0.30	7.79
		Dissolved Oxygen	8.00	10.80	0.79	9.56
		Biological Oxygen demand	0.60	1.20	0.21	0.98
		Fecal Coliform	26.00	60.00	10.49	39.66
5	अपर गंगा कैनाल, डामकोठी	pH	7.59	8.31	0.24	7.91
		Dissolved Oxygen	8.69	10.40	0.56	9.56
		Biological Oxygen demand	0.60	1.20	0.15	0.96
		Fecal Coliform	30.00	46.0	5.61	36.45
6	गंगा नदी, दूधियाबाग	pH	7.47	8.30	0.24	7.85
		Dissolved Oxygen	8.20	10.80	0.84	9.43
		Biological Oxygen demand	1.00	1.20	0.09	1.05
		Fecal Coliform	30.0	70.0	14.44	50.45

गंगा नदी, हरि की पैड़ी, हरिद्वार

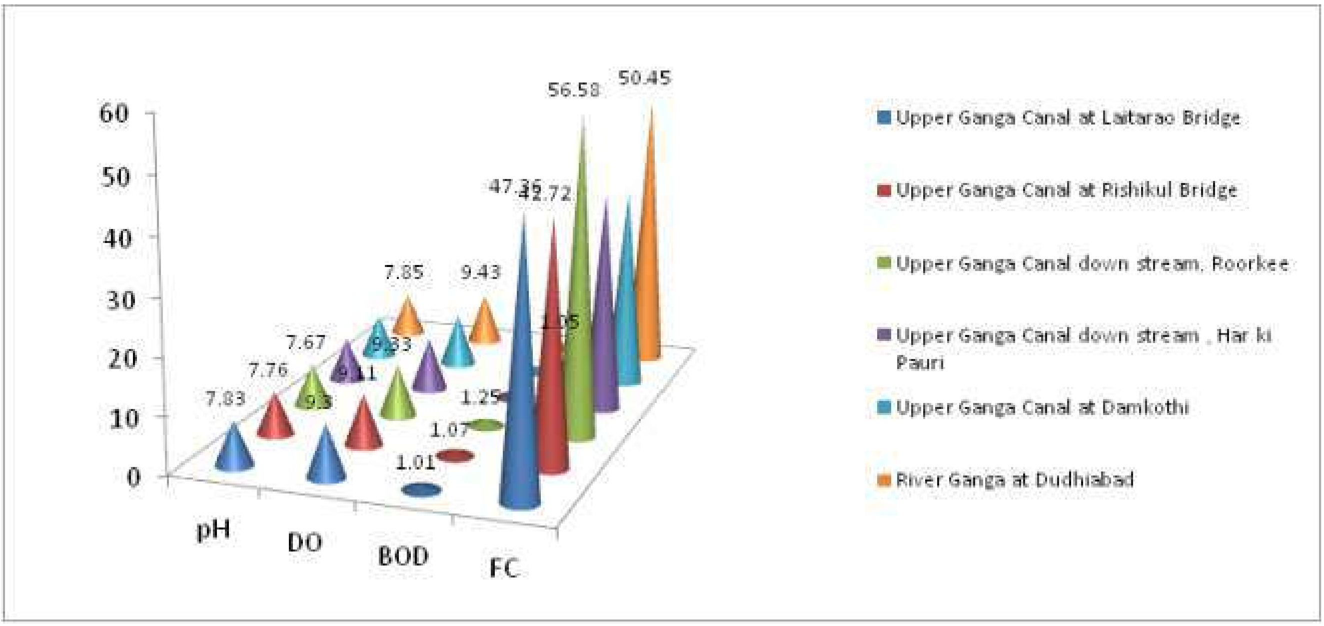

सतपुली,जिला पौड़ी गढ़वाल

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	नयार नदी अपस्ट्रीम सतपुली	pH	7.21	8.40	0.48	7.64
		Dissolved Oxygen	7.80	10.80	1.09	9.04
		Biological Oxygen demand	1.00	1.60	0.26	1.24
		Fecal Coliform	17.00	26.00	3.56	22.20

नयार नदी, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल

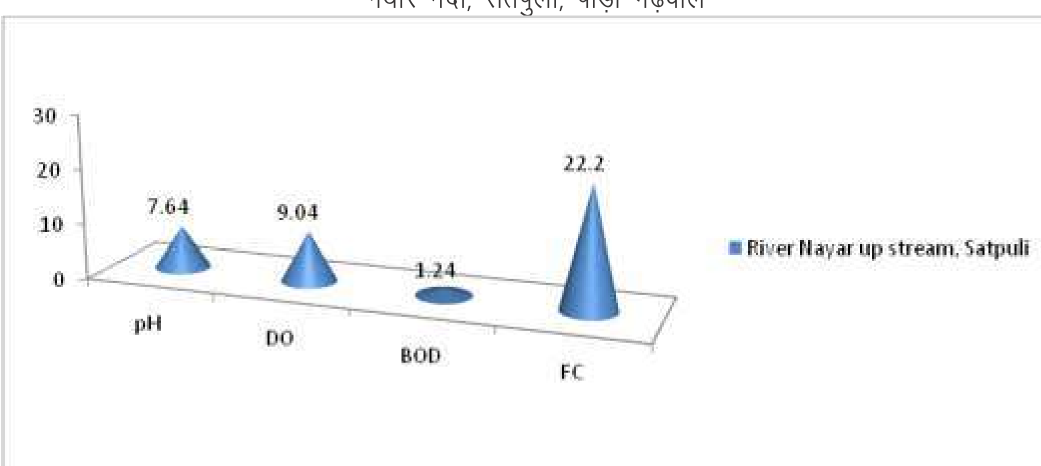

5

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश के क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में 09 प्रदूषित नदी क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं। इन नदियों के पुनरूत्थान हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्ययोजना तैयार किया जाना होता है। उपरोक्त सभी नदियों का विवरण एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये कार्ययोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	प्राथमिकता	चिन्हित प्रदूषित नदी क्षेत्र	अनुपालन की स्थिति
1	प्राथमिकता–I	वहेला नदी क्षेत्र (काशीपुर से राजपुताना टांडा)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
		ढेला नदी क्षेत्र (काशीपुर से गरूवाला)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
		सुसवा नदी क्षेत्र (मोथोरोवाला से रायवाला)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
2	प्राथमिकता–II	किच्छा नदी क्षेत्र (किच्छा नदी के साथ)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
3	प्राथमिकता–III	कल्याणी नदी क्षेत्र (डाउनस्ट्रीम पंतनगर)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
4	प्राथमिकता–IV	कोसी नदी क्षेत्र (सुल्तानपुर से पट्टीकलान)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

क्र.स.	प्राथमिकता	चिन्हित प्रदूषित नदी क्षेत्र	अनुपालन की स्थिति
		नन्धौर नदी क्षेत्र (सितारगंज के साथ)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
		पीलाखार नदी क्षेत्र (रूद्रपुर)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
		गंगा नदी क्षेत्र (हरिद्वार से सुल्तानपुर)	कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कार्ययोजना की प्रति संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

6

संयुक्त घरेलु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की अनुश्रवण एवं जल गुणवत्ता विशलेषण

जिला चमोली

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
1	0.26 एमएलडी एसटीपी, बद्रीनाथ (बामणी गांव)	pH	6.93	7.43	0.27	7.25
		Biological Oxygen Demand	8.40	10.0	0.80	9.20
		Total Suspended Solids	12.0	22.0	5.29	16.0
		Fecal Coliforms	84.0	110.0	13.11	96.0
2	0.010 एमएलडी एसटीपी, मंदिर के नजदीक बद्रीनाथ	pH	6.78	8.01	0.61	7.37
		Biological Oxygen Demand	8.40	10.0	0.80	9.20
		Total Suspended Solids	10.0	18.0	4.16	13.33
		Fecal Coliforms	58.0	80.0	11.01	69.33
3	1.0 एमएलडी, एसटीपी, सस्पेशन ब्रिज के नजदीक बद्रीनाथ	pH	6.80	7.41	0.43	7.10
		Biological Oxygen Demand	9.60	10.0	0.28	9.80
		Total Suspended Solids	18.0	22.0	2.82	20.0
		Fecal Coliforms	63.0	84.0	14.84	73.50
4	0.760 एमएलडी, एसटीपी, गोपेश्वर, चमोली घाट	pH	7.05	7.66	0.22	7.39
		Biological Oxygen Demand	7.20	10.0	1.02	8.91
		Total Suspended Solids	9.0	18.0	3.18	11.85
		Fecal Coliforms	43.0	79.0	11.57	63.0
5	0.050 एमएलडी, एसटीपी, गोपेश्वर नजदीक पुराना सस्पेशन ब्रिज, चमोली	pH	6.89	7.43	0.19	7.10
		Biological Oxygen Demand	8.0	9.60	0.59	8.51
		Total Suspended Solids	8.0	18.0	3.38	11.85
		Fecal Coliforms	63.0	94.0	12.86	76.28

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा. / लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
6	1.19 एमएलडी, एसटीपी, विवेकानन्द कालोनी, गोपेश्वर	pH	6.84	7.54	0.25	7.22
		Biological Oxygen Demand	8.40	10.0	0.65	9.33
		Total Suspended Solids	7.0	22.0	5.50	12.66
		Fecal Coliforms	43.0	110.0	24.17	66.33
7	1.12 एमएलडी, एसटीपी, दीन दयाल उपाध्याय, गोपेश्वर	pH	6.64	7.60	0.37	7.20
		Biological Oxygen Demand	6.40	10.0	1.37	8.45
		Total Suspended Solids	9.0	24.0	5.46	12.22
		Fecal Coliforms	32.0	80.0	15.41	52.14
8	1.08 एमएलडी, एसटीपी, पोखरी	pH	6.61	8.47	0.58	7.49
		Biological Oxygen Demand	7.60	9.60	0.76	8.57
		Total Suspended Solids	8.0	18.0	3.76	11.85
		Fecal Coliforms	48.0	220.0	61.59	99.0
9	1.25 एमएलडी, एसटीपी, पोखरी बैंड, गोपेश्वर	pH	6.79	7.68	0.35	7.25
		Biological Oxygen Demand	8.40	10.0	0.53	9.25
		Total Suspended Solids	9.0	22.00	5.40	12.08
		Fecal Coliforms	34.0	110.0	25.79	58.0
10	0.05 एमएलडी, एसटीपी, संगम रोड़, नन्दप्रयाग	pH	6.75	7.87	0.34	7.36
		Biological Oxygen Demand	7.60	9.20	0.50	8.22
		Total Suspended Solids	8.0	18.0	3.45	11.57
		Fecal Coliforms	32.0	80.0	15.86	48.85
11	0.10 एमएलडी, एसटीपी, फोरेस्ट आफिस, नन्दप्रयाग	pH	6.78	8.16	0.48	7.30
		Biological Oxygen Demand	6.40	10.0	1.25	9.14
		Total Suspended Solids	8.0	20.0	4.09	11.14
		Fecal Coliforms	58.0	170.0	39.50	89.28
12	0.10 एमएलडी, पुराना पुल, कर्णप्रयाग	pH	7.20	7.80	0.21	7.40
		Biological Oxygen Demand	8.0	10.0	0.80	9.20
		Total Suspended Solids	8.0	29.0	7.49	13.71
		Fecal Coliforms	46.0	140.0	33.74	72.42
13	0.10 एमएलडी, एसटीपी, वार्ड नं 1 और 3 कर्णप्रयाग	pH	6.99	8.19	0.38	7.48
		Biological Oxygen Demand	7.60	10.0	0.85	8.62
		Total Suspended Solids	9.0	18.0	3.25	12.57
		Fecal Coliforms	70.0	7.58	0.27	7.20
14	0.05 एमएलडी, एसटीपी, सुभाष नगर, कर्णप्रयाग	pH	6.77	7.58	0.27	7.20
		Biological Oxygen Demand	8.80	10.0	0.53	9.25
		Total Suspended Solids	8.0	20.0	4.78	12.28
		Fecal Coliforms	49.0	94.0	17.23	73.85
15	0.05 एमएलडी, एसटीपी, नया पुल, कर्णप्रयाग	pH	7.20	7.99	0.25	7.50
		Biological Oxygen Demand	9.20	10.0	0.35	9.65
		Total Suspended Solids	8.0	22.0	5.09	12.57
		Fecal Coliforms	47.0	80.0	10.99	58.85

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
16	0.5 एमएलडी, एसटीपी, नियर पुलिस चौकी, कर्णप्रयाग	pH	6.88	8.10	0.36	7.42
		Biological Oxygen Demand	8.40	9.80	0.46	9.17
		Total Suspended Solids	9.0	18.0	3.18	11.85
		Fecal Coliforms	34.0	79.0	16.91	52.42

जिला रूद्रप्रयाग

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
17	0.12 एमएलडी, एसटीपी, नियर स्टील ब्रिज, रूद्रप्रयाग	pH	7.21	7.91	0.32	7.52
		Biological Oxygen Demand	8.0	9.20	0.45	8.64
		Total Suspended Solids	9.0	16.0	2.96	12.60
		Fecal Coliforms	34.0	58.0	9.20	45.60
18	0.10 एमएलडी, एसटीपी, नियर मस्जीद, रूद्रप्रयाग	pH	6.87	7.71	0.29	7.31
		Biological Oxygen Demand	6.60	10.0	1.27	9.45
		Total Suspended Solids	10.0	84.0	34.72	38.85
		Fecal Coliforms	58.0	84.0	9.95	68.14
19	0.07 एमएलडी, एसटीपी, नियर बस स्टैंड, रूद्रप्रयाग	pH	7.20	7.63	0.18	7.36
		Biological Oxygen Demand	9.20	10.0	0.38	9.70
		Total Suspended Solids	10.0	12.0	1.0	10.50
		Fecal Coliforms	43.0	79.0	15.58	62.50
20	0.10 एमएलडी, एसटीपी, नियर रूद्रा कम्पलैक्स, रूद्रप्रयाग	pH	6.90	8.15	0.43	7.46
		Biological Oxygen Demand	8.0	10.0	0.70	9.25
		Total Suspended Solids	9.0	26.0	6.10	15.57
		Fecal Coliforms	46.0	70.0	8.95	57.71
21	0.07 एमएलडी, एसटीपी, नियर अनूप नेगी स्कूल, रूद्रप्रयाग	pH	6.97	7.72	0.23	7.29
		Biological Oxygen Demand	6.80	7.60	0.32	7.28
		Total Suspended Solids	8.0	17.0	3.20	10.42
		Fecal Coliforms	17.0	60.0	14.71	36.42
22	0.05 एमएलडी, एसटीपी, बिलिनी रोड़, रूद्रप्रयाग	pH	6.84	7.51	0.27	7.20
		Biological Oxygen Demand	9.60	10.0	0.23	9.80
		Total Suspended Solids	9.0	12.0	1.41	10.0
		Fecal Coliforms	38.0	70.0	14.65	49.0

जिला पौड़ी गढ़वाल

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
23	0.07 एमएलडी, एसटीपी, नियर जूनियर हाईस्कूल, श्रीकोट, श्रीनगर	pH	7.08	7.68	0.32	7.44
		Biological Oxygen Demand	9.60	10.0	0.23	9.73
		Total Suspended Solids	9.0	12.0	1.52	10.33
		Fecal Coliforms	32.0	47.0	7.50	39.33
24	0.05 एमएलडी, एसटीपी, नियर तोलिया नाला, श्रीकोट, श्रीनगर	pH	6.98	7.64	0.33	7.30
		Biological Oxygen Demand	9.60	10.0	0.23	9.86
		Total Suspended Solids	10.0	14.0	2.0	12.0
		Fecal Coliforms	48.0	63.0	7.63	56.33
25	01 एमएलडी, एसटीपी, नियर आई.टी.आई. श्रीनगर	pH	6.90	8.36	0.51	7.64
		Biological Oxygen Demand	8.0	10.0	0.62	9.11
		Total Suspended Solids	8.0	18.0	3.03	10.77
		Fecal Coliforms	14.0	80.0	19.13	38.0
26	3.5 एमएलडी, एसटीपी, नर्सरी रोड़, श्रीनगर	pH	7.12	7.66	0.17	7.29
		Biological Oxygen Demand	12.0	20.0	2.64	16.66
		Total Suspended Solids	14.0	48.0	12.28	34.66
		Fecal Coliforms	120.0	500.0	156.85	254.44
27	0.05 एमएलडी, एसटीपी, नियर बीआरओ ब्रिज, कीर्तिनगर	pH	6.90	7.58	0.27	7.30
		Biological Oxygen Demand	7.0	10.0	1.07	8.47
		Total Suspended Solids	8.0	16.0	2.85	11.12
		Fecal Coliforms	6.72	7.30	0.18	7.08
28	0.01 एमएलडी, एसटीपी, नियर मंदिर, कीर्तिनगर	pH	6.72	7.30	0.18	7.08
		Biological Oxygen Demand	7.60	12.0	1.34	9.50
		Total Suspended Solids	10.0	22.0	4.14	14.0
		Fecal Coliforms	38.0	79.0	15.24	53.87

जिला टिहरी गढ़वाल

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
29	0.07 एमएलडी, एसटीपी, देवप्रयाग	pH	6.20	8.40	0.57	7.40
		Biological Oxygen Demand	14.0	24.0	3.31	18.50
		Total Suspended Solids	22.0	44.0	6.06	35.0
		Fecal Coliforms	40.0	500.0	182.86	287.0
30	0.15 एमएलडी, एसटीपी, देवप्रयाग	pH	6.71	8.0	0.38	7.37
		Biological Oxygen Demand	12.0	24.0	4.01	17.50
		Total Suspended Solids	18.0	47.0	7.58	33.83
		Fecal Coliforms	50.0	500.0	187.52	301.16
31	1.4 एमएलडी, एसटीपी, देवप्रयाग	pH	6.92	7.85	0.26	7.38
		Biological Oxygen Demand	7.60	10.0	0.81	8.86
		Total Suspended Solids	8.0	18.0	2.85	10.83
		Fecal Coliforms	58.0	220.0	49.35	101.25
32	5 एमएलडी, एसटीपी, भागीरथीपुरम टिहरी	pH	7.0	8.46	0.50	7.43
		Biological Oxygen Demand	9.60	14.0	1.91	11.15
		Total Suspended Solids	10.0	42.0	12.36	23.50
		Fecal Coliforms	79.0	500.0	149.16	220.87

जिला उत्तरकाशी

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
33	2 एमएलडी, एसटीपी, जानसू	pH	6.71	7.87	0.37	7.35
		Biological Oxygen Demand	9.20	12.0	1.13	10.25
		Total Suspended Solids	10.0	38.0	10.12	21.50
		Fecal Coliforms	94.0	500.0	150.42	229.25
34	1 एमएलडी, एसटीपी, गंगोत्री	pH	7.43	7.58	0.10	7.50
		Biological Oxygen Demand	9.60	10.0	0.28	9.80
		Total Suspended Solids	12.0	16.0	2.82	14.0
		Fecal Coliforms	34.00	40.00	4.24	37.00

जिला देहरादून

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
35	3.5 एमएलडी, एसटीपी, तपोवन, ऋषिकेश	pH	7.10	8.40	0.33	7.65
		Biological Oxygen Demand	7.60	10.0	0.71	9.03
		Total Suspended Solids	8.0	34.0	8.91	18.41
		Fecal Coliforms	27.0	46.0	6.70	37.25
36	3 एमएलडी, एसटीपी, स्वर्ग आश्रम, ऋाषिकेश	pH	6.60	7.69	0.31	7.35
		Biological Oxygen Demand	7.20	9.20	0.67	8.36
		Total Suspended Solids	8.0	18.0	3.25	11.25
		Fecal Coliforms	22.0	40.0	5.32	33.75
37	5 एमएलडी, एसटीपी, चोरपानी, मुनि–की–रेती, ऋषिकेश	pH	7.13	8.40	0.39	7.72
		Biological Oxygen Demand	7.20	14.0	1.68	10.06
		Total Suspended Solids	9.0	45.0	13.03	23.58
		Fecal Coliforms	40.0	500.0	150.94	200.83
38	26 एमएलडी, एसटीपी, लक्कडघाट, ऋषिकेश	pH	6.60	8.35	0.49	7.53
		Biological Oxygen Demand	8.0	14.0	2.04	9.90
		Total Suspended Solids	9.0	44.0	15.52	17.87
		Fecal Coliforms	26.0	350.0	129.66	107.37
39	7.5 एमएलडी, एसटीपी, चन्द्रेश्वरनगर, ऋषिकेश	pH	6.90	8.08	0.39	7.55
		Biological Oxygen Demand	8.40	14.0	1.92	10.15
		Total Suspended Solids	9.0	36.0	10.04	15.37
		Fecal Coliforms	21.0	280.0	101.20	88.62
40	68 एमएलडी, एसटीपी, कारगी, देहरादून	pH	6.90	7.85	0.27	7.53
		Biological Oxygen Demand	7.60	10.0	0.70	8.8
		Total Suspended Solids	9.0	18.0	2.96	11.58
		Fecal Coliforms	30.0	110.0	22.69	67.08
41	20 एमएलडी, एसटीपी, मोथोरावाला–1, देहरादून	pH	6.85	8.15	0.34	7.61
		Biological Oxygen Demand	8.0	18.0	2.52	10.16
		Total Suspended Solids	8.0	24.0	4.49	11.75
		Fecal Coliforms	22.0	70.0	17.19	52.0
42	20 एमएलडी, एसटीपी, मोथोरावाला–2, देहरादून	pH	6.82	8.06	0.33	7.38
		Biological Oxygen Demand	8.0	16.0	2.54	11.70
		Total Suspended Solids	9.0	42.0	10.88	20.90
		Fecal Coliforms	46.0	90.0	16.11	68.18
43	0.4 एमएलडी, एसटीपी, विजय कालोनी, देहरादून	pH	7.10	8.05	0.30	7.49
		Biological Oxygen Demand	9.20	38.0	9.05	17.76
		Total Suspended Solids	10.0	42.0	11.55	27.16
		Fecal Coliforms	70.0	500.0	197.63	297.16

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
44	0.72 एमएलडी, एसटीपी, सालावाला, देहरादून	pH	7.10	8.16	0.29	7.59
		Biological Oxygen Demand	8.40	24.0	5.55	15.56
		Total Suspended Solids	9.0	44.0	13.79	30.75
		Fecal Coliforms	70.0	500.0	183.95	318.16
45	5 एमएलडी, एसटीपी, इन्दिरा नगर, देहरादून	pH	7.28	8.47	0.51	7.79
		Biological Oxygen Demand	9.20	14.0	2.0	11.54
		Total Suspended Solids	9.0	36.0	10.96	22.71
		Fecal Coliforms	94.0	350.0	90.64	176.28
46	1 एमएलडी, एसटीपी, जाखन, देहरादून	pH	7.11	8.27	0.38	7.55
		Biological Oxygen Demand	8.80	16.0	2.77	12.0
		Total Suspended Solids	9.0	38.0	10.63	21.0
		Fecal Coliforms	70.0	280.0	75.08	149.14
47	3.12 एमएलडी, एसटीपी, भट्टा फाल, मसूरी	pH	6.65	8.11	0.44	7.62
		Biological Oxygen Demand	9.20	20.0	4.08	12.40
		Total Suspended Solids	8.0	46.0	16.02	26.0
		Fecal Coliforms	79.0	350.0	100.62	161.66
48	0.8 एमएलडी, एसटीपी, लंढौर (नाथ), मसूरी	pH	6.62	8.48	0.58	7.38
		Biological Oxygen Demand	8.40	22.0	4.26	12.62
		Total Suspended Solids	9.0	42.0	12.92	25.22
		Fecal Coliforms	94.0	350.0	88.25	203.77
49	1.3 एमएलडी, एसटीपी, लंढौर (साउथ), मसूरी	pH	7.35	8.42	0.39	7.73
		Biological Oxygen Demand	8.80	22.0	4.76	12.11
		Total Suspended Solids	9.0	46.0	15.30	24.71
		Fecal Coliforms	70.0	300.0	79.94	159.14
50	0.9 एमएलडी, एसटीपी, कुल्डी बाजार, मसूरी	pH	7.12	8.46	0.46	7.62
		Biological Oxygen Demand	9.20	20.0	3.84	14.08
		Total Suspended Solids	9.0	48.0	13.34	24.44
		Fecal Coliforms	130.0	500.0	147.64	303.33
51	1.2 एमएलडी, एसटीपी, हैप्पी वैली मसूरी	pH	7.10	8.14	0.36	7.65
		Biological Oxygen Demand	8.80	18.0	3.60	12.0
		Total Suspended Solids	9.0	34.0	10.01	18.28
		Fecal Coliforms	110.0	350.0	89.76	197.14

जिला हरिद्वार

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
52	27 एमएलडी एसटीपी, जगजीतपुर	pH	7.25	8.40	0.35	7.61
		Biological Oxygen Demand	8.0	10.0	0.56	9.20
		Total Suspended Solids	8.0	18.0	3.32	10.54
		Fecal Coliforms	60.0	94.0	10.44	77.81
53	18 एमएलडी, एसटीपी, जगजीतपुर	pH	7.0	8.29	0.35	7.64
		Biological Oxygen Demand	8.80	10.40	0.47	9.60
		Total Suspended Solids	9.0	32.0	6.72	16.27
		Fecal Coliforms	40.0	110.0	20.43	68.0
54	68 एमएलडी, एसटीपी, जगजीतपुर	pH	6.48	7.75	0.34	7.28
		Biological Oxygen Demand	8.80	12.00	1.16	9.96
		Total Suspended Solids	8.0	28.0	7.90	16.09
		Fecal Coliforms	40.0	220.0	62.23	107.27
55	18 एमएलडी, एसटीपी, सराय	pH	7.01	7.95	0.31	7.49
		Biological Oxygen Demand	7.60	10.0	0.78	8.58
		Total Suspended Solids	8.0	16.0	2.58	10.09
		Fecal Coliforms	17.0	50.0	10.09	35.72
56	14 एमएलडी, एसटीपी, सराय	pH	7.10	8.27	0.39	7.55
		Biological Oxygen Demand	8.0	10.0	0.68	9.12
		Total Suspended Solids	9.0	26.0	5.91	15.0
		Fecal Coliforms	38.0	170.0	47.93	85.09
57	33 एमएलडी, एसटीपी, सलियार, रूड़की	pH	6.94	7.95	0.30	7.44
		Biological Oxygen Demand	9.20	14.0	1.82	11.42
		Total Suspended Solids	10.0	42.0	11.21	23.55
		Fecal Coliforms	94.0	350.0	100.96	218.22

जिला अल्मोडा

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
58	2 एमएलडी, एसटीपी, अल्मोडा	pH	6.43	8.37	0.58	7.44
		Biological Oxygen Demand	22.0	48.0	8.02	29.80
		Total Suspended Solids	52.0	108.0	18.59	68.80
		Fecal Coliforms	540.0	1600.0	468.27	1116.0

जिला नैनीताल

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
59	0.45 एमएलडी एसटीपी, हरि नगर, नैनीताल	pH	7.18	7.76	0.22	7.52
		Biological Oxygen Demand	12.	26.00	4.22	21.10
		Total Suspended Solids	36.0	68.0	11.14	47.60
		Fecal Coliforms	280.0	430.0	53.10	352.0
60	0.80 एमएलडी, एसटीपी, .ष्णापुर, नैनीताल	pH	6.93	8.36	0.47	7.61
		Biological Oxygen Demand	14.0	28.0	4.37	20.3
		Total Suspended Solids	32.0	88.0	22.59	57.20
		Fecal Coliforms	210.0	350.0	57.0	260.0
61	1.25 एमएलडी, एसटीपी, भीमताल	pH	6.15	10.61	1.53	7.67
		Biological Oxygen Demand	27.0	52.0	8.86	37.9
		Total Suspended Solids	64.0	146.0	29.83	99.0
		Fecal Coliforms	350.0	540.0	95.23	442.0

जिला पिथौरागढ़

क्र.स.	अनुश्रवण स्थान	परिचारक मि.ग्रा./लि0 पी.एच. एवं फिक्ल कोलीफार्म को छोड़कर	न्यूनतम	अधिकतम	मानक विचलन	मध्य मान
62	5 एमएलडी, एसटीपी, एनीचोरी, पिथौरागढ़	pH	7.31	7.95	0.25	7.72
		Biological Oxygen Demand	16.0	48.0	10.20	25.87
		Total Suspended Solids	44.0	122.0	25.82	60.25
		Fecal Coliforms	150.0	1600.0	537.47	826.0
63	1.25 एमएलडी, एसटीपी, निरादा, पिथौरागढ़	pH	6.14	7.71	0.57	7.0
		Biological Oxygen Demand	16.0	52.0	11.75	31.25
		Total Suspended Solids	44.0	144.0	40.69	78.0
		Fecal Coliforms	350.0	1600.0	551.80	852.50

7

परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण

उत्तराखण्ड राज्य में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 शहरों में 08 अनुश्रवण केन्द्रों की स्थापाना की गई है। देहरादून शहर के 03 केन्द्र व हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर रूद्रपुर व हल्द्वानी शहरों में 01–01 अनुश्रवण केन्द्र स्थापित हैं।

सभी 08 केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण मैन्युवल तरीके से किया जाता है। जिसमें प्रत्येक केन्द्र पर सप्ताह में 02 बार वायु गुणवत्ता हेतु नमूने एकत्र किये जाते हैं। सभी केन्द्रों पर निम्न परिचालको का अनुश्रवण किया जाता है:– धूल कण–PM10, आक्साईडस आफ नाइट्रो जन, सलफट डाई आक्साइड परन्तु देहरादून के 03 केन्द्रों पर उपरोक्त 03 परिचालको के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से धूल कण–PM2.5 का अनुश्रवण भी किया जाता है।

अनुश्रवण से प्राप्त आकडों का मासिक औसत करते हुए वर्ष 2020–21 में विभिन्न अनुश्रवण केन्द्रों पर विभिन्न परिचालकों का विवरण निम्नानुसार है :–

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, घंटाघर, देहरादून

अनुश्रवण का माह	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम/प्रतिघन मी0	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–2.5)मिलीग्राम/प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम/प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम/प्रतिघन मी0
अप्रैल	73.51	47.62	7.42	8.93
मई	123.76	IF	17.65	21.55
जून	120	IF	21.01	25
जुलाई	81.36	IF	20.94	24.98
अगस्त	88.67	RF	22.16	26.81
सितम्बर	99.24	IF	22.45	27.42
अक्टूबर	162.77	IF	24.37	28.08
नवम्बर	182.48	84.49	23.42	27.97
दिसम्बर	172.91	103.19	24.14	28.28
जनवरी	173.27	100.29	24.23	28.53
फरवरी	181.81	98.09	24.10	28.54
मार्च	217.42	107.3	22.31	27.22
औसत	139.77	90.16	21.18	25.28

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, रायपुर, देहरादून

अनुश्रवण का माह	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–2.5)मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	76.6	37.1	6.7	7.9
मई	100.9	46.4	14.0	18.5
जून	97.5	64.5	17.3	22.3
जुलाई	88.4	42.8	19.1	22.8
अगस्त	80.3	RF	21.0	22.9
सितम्बर	93.7	66.9	21.8	25.6
अक्टूबर	155.2	101.2	22.3	26.8
नवम्बर	159.3	88.2	23.0	27.0
दिसम्बर	158.0	88.3	23.4	27.9
जनवरी	155.3	90.0	23.5	27.7
फरवरी	160.7	91.0	23.3	27.8
मार्च	166.1	88.9	22.8	27.2
औसत	124.3	73.2	19.9	23.7

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, आई.एस.बी.टी., देहरादून

अनुश्रवण का माह	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–2.5)मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	79.34	41.48	9.16	11.63
मई	110.49	75.61	15.41	19.91
जून	112.56	75.5	19.85	23.94
जुलाई	93.83	53.7	20.7	24.57
अगस्त	92.24	RF	22.11	26.18
सितम्बर	104.17	76.62	23.11	27.46
अक्टूबर	170.18	104.82	25.31	28.41
नवम्बर	191.99	99.51	24.14	28.63
दिसम्बर	173.25	101.09	24.09	28.48
जनवरी	179.81	99.74	24.28	28.51
फरवरी	179.91	99.98	24.27	28.52
मार्च	179.91	107.05	24.19	28.44
औसत	138.97	85.01	21.39	25.39

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, नगर निगम, ऋषिकेश

अनुश्रवण का माह	पार्टीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	58.55	5.98	7.62
मई	91.52	11.43	14.55
जून	93.85	15.7	22.13
जुलाई	101.31	17.35	22.62
अगस्त	108.91	18.96	24.43
सितम्बर	113.64	21.47	25.84
अक्टूबर	115.38	21.62	25.94
नवम्बर	131.73	21.92	26.64
दिसम्बर	147.93	22.66	27.32
जनवरी	151.15	22.11	27.17
फरवरी	161.33	22.34	26.65
मार्च	176.36	21.27	26.49
औसत	120.97	18.57	23.12

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, सिडकुल, हरिद्वार

अनुश्रवण का माह	पार्टीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	46.08	3.03	8.79
मई	49.43	3.54	8.68
जून	78.29	4.06	10.71
जुलाई	78.8	4.72	11.77
अगस्त	78.5	5.38	12.08
सितम्बर	87.21	6.78	13.23
अक्टूबर	114.22	9.74	13.97
नवम्बर	133.59	12.90	17.61
दिसम्बर	141.05	10.89	17.45
जनवरी	129.75	10.02	17.15
फरवरी	125.18	10.43	17.52
मार्च	123.18	11.52	20
औसत	98.77	7.75	14.08

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, राजकीय अस्पताल, हल्द्वानी

अनुश्रवण का माह	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	68.7	5.1	16.6
मई	92.0	5.9	23.7
जून	106.3	6.2	25.9
जुलाई	105.9	6.0	24.9
अगस्त	110.7	6.7	26.0
सितम्बर	109.1	7.0	26.6
अक्टूबर	114.1	7.3	27.6
नवम्बर	135.7	12.1	26.7
दिसम्बर	118.8	8.5	24.6
जनवरी	117.9	8.0	26.1
फरवरी	117.0	8.2	27.5
मार्च	116.3	8.3	27.8
औसत	109.4	7.4	25.

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, राजकीय अस्पताल, काशीपुर

अनुश्रवण का माह	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	46.08	3.03	8.79
मई	49.43	3.54	8.68
जून	78.29	4.06	10.71
जुलाई	78.8	4.72	11.77
अगस्त	78.5	5.38	12.08
सितम्बर	87.21	6.78	13.23
अक्टूबर	114.22	9.74	13.97
नवम्बर	133.59	12.90	17.61
दिसम्बर	141.05	10.89	17.45
जनवरी	129.75	10.02	17.15
फरवरी	125.18	10.43	17.52
मार्च	123.18	11.52	20
औसत	98.77	7.75	14.08

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, राजकीय अस्पताल, हल्द्वानी

अनुश्रवण का माह	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	76.30	8.70	13.15
मई	103.95	10.32	14.63
जून	114.32	11.20	14.58
जुलाई	114.06	11.63	14.73
अगस्त	IF	IF	IF
सितम्बर	120.23	11.81	14.91
अक्टूबर	119.34	11.81	14.93
नवम्बर	143.45	15.32	26.02
दिसम्बर	120.98	16.52	25.85
जनवरी	119.93	18.04	26.22
फरवरी	125.14	18.74	22.78
मार्च	121.37	19.09	22.83
औसत	116.28	13.93	19.15

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, राजकीय अस्पताल, रूद्रपुर

अनुश्रवण का माह	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–10) मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	पाटीकुलेट मैटर (पीएम–2.5)मिलीग्राम / प्रतिघन मी0	सल्फर डाई आक्साइडमिलीग्राम / प्रतिघन मी0	आक्साईडस आफ नाइट्रोजनमिलीग्राम / प्रतिघन मी0
अप्रैल	75.3	116.56	8.64	13.435
मई	68.66	135.27	5.06	16.61
जून	116.8	198.62	10.97	14.55
जुलाई	120.46	206.79	11.64	15.01
अगस्त	115.91	203.76	11.65	15.27
सितम्बर	125.41	211.4	11.68	15.12
अक्टूबर	119.29	201.23	14.52	18.58
नवम्बर	143.13	235.72	16.44	21.05
दिसम्बर	121.62	197.08	17.77	21.83
जनवरी	123.58	212.51	18.84	22.3
फरवरी	129.12	221.53	19.35	22.92
मार्च	127.89	224.87	19.15	23.31
औसत	115.6	197.1	13.8	18.3

विभिन्न परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों में पी.एम.–10, पी.एम.–2.5, सल्फर डाई आक्साइड एवं आक्साइडस आफ नाइट्रोजन की सान्द्रता का विश्लेषण निम्नवत है। अनुश्रवण केन्द्रों क्रमशः 1से 8 का विवरण निम्नानुसार है।

1. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, घंटाघर, देहरादून
2. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, रायपुर, देहरादून
3. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, आई.एस.बी.टी., देहरादून
4. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, नगर निगम, ऋषिकेश
5. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, सिडकुल, हरिद्वार
6. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, राजकीय अस्पताल, हल्द्वानी
7. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, राजकीय अस्पताल, काशीपुर
8. परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, राजकीय अस्पताल, रूद्रपुर

विभिन्न वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों में पाटीकुलर मैटर (पी0एम0–10) की सान्द्रता

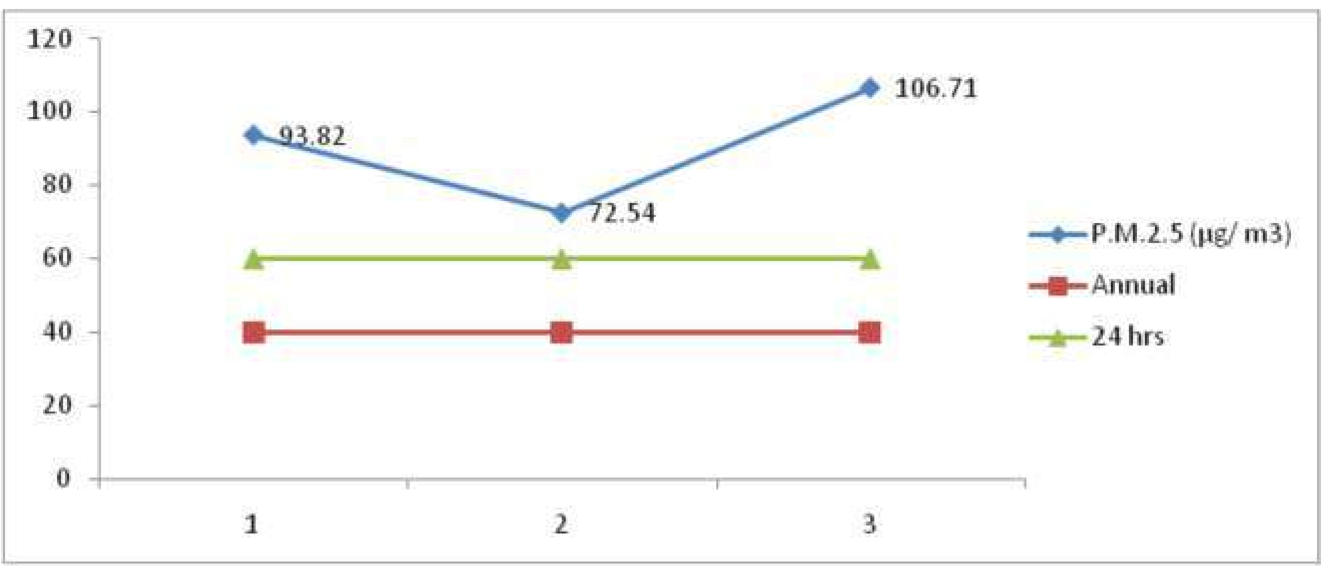

विभिन्न वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों में पाटीकुलर मैटर (पी0एम0–2.5) की सान्द्रता

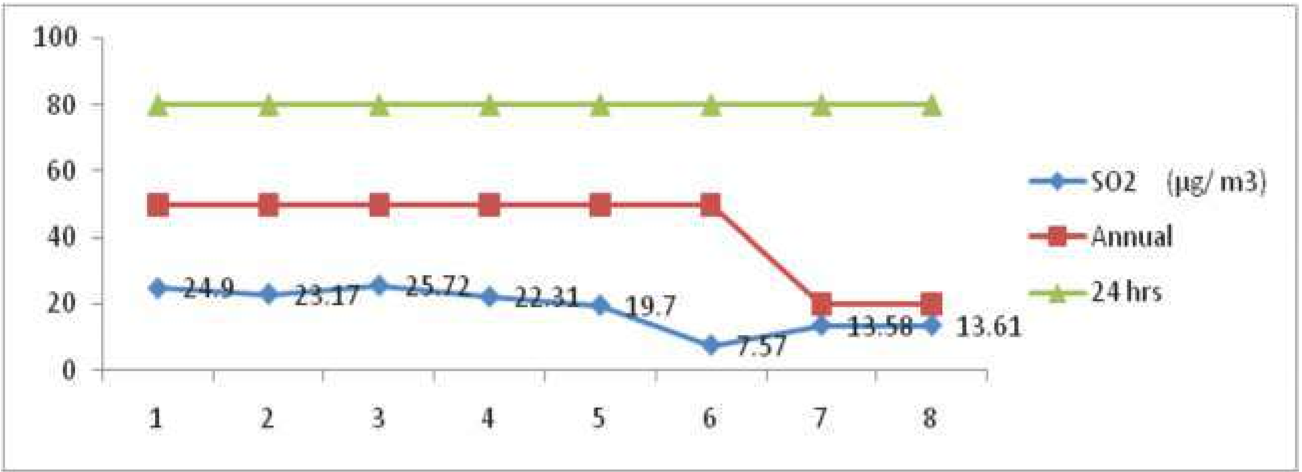

विभिन्न वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों में सल्फर डाई आक्साइड की सान्द्रता

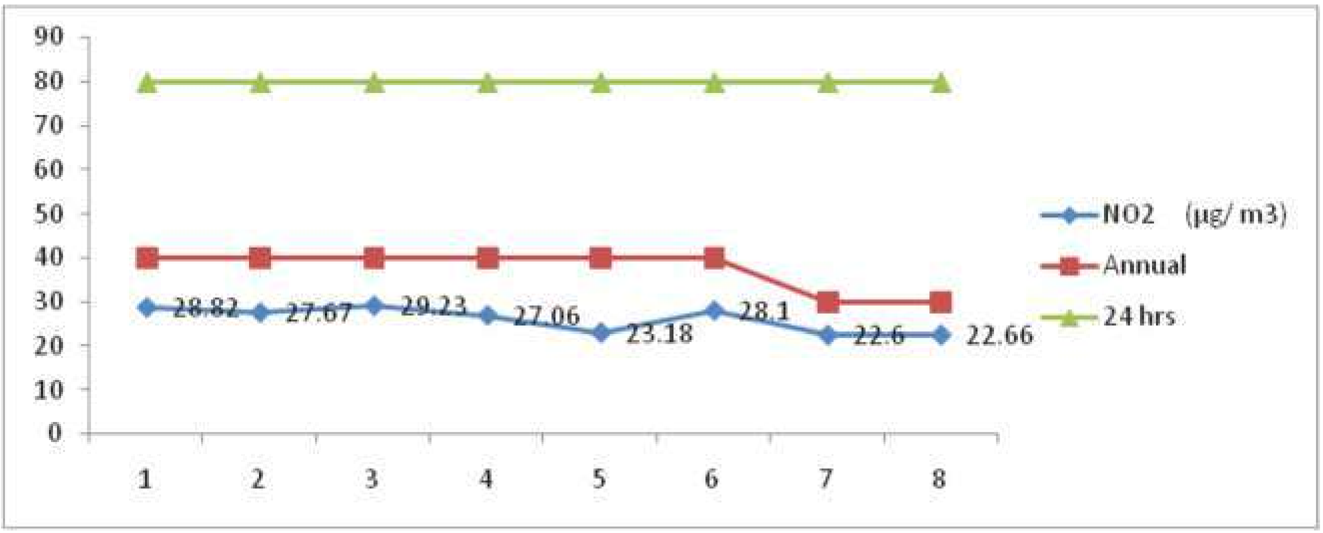

विभिन्न वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों में आक्साइडस आफ नाइट्रोजन की सान्द्रता

परिवेशिय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र, देहरादून

वायु गुणवत्ता सूचकांक

PM_{10}, NOx, SO2 के आधार पर मासिक औसत आकडों से सभी शहरों का मासिक वायु गुणवत्ता सूचकांक निकाला गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

S.No.	Possible Health Impacts	Air Quality Index					
		Dehradun	Rishikesh	Haridwar	Rudrapur	Kashipur	Haldwani
1	Good (0-50) Minimal Impact						
2	Satisfactory (51-100) Minor breathing discomfort to sensitive people			99			
3	Moderate (101-200) Breathing discomfort to the people with lungs, asthma and heart diseases	176	152		110	111	106
4	Poor (201-300) Breathing discomfort to most people on prolonged exposure						
5	Very Poor (301-400) Respiratory illness on prolonged exposure						
6	Severe (>401) Affects healthy people and seriously impacts those with existing diseases						

वर्ष 2020 में दीपावली के अवसर पर मुख्य पर्व से पूर्व व इससे उपरान्तविभिन्न शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता व परिवेशीय ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण किया गया विभिन्न शहरों में किये गये अनुश्रवण विशलेषण का विवरण निम्नानुसार है :–

अनुश्रवण केन्द्र	पार्टिकुलर मैटर(पी.एम.–10)				पर्टिकुलर मैटर(पी.एम.–2.5)						
	Lead	Nickel	Iron	Arsenic	Lead	Nickel	Arsenic	Al uminium	Barium	Strontium	Iron
जिला देहरादून											
क्षेत्रीय कार्यालय	0.13	2.23	-	14.64	0.13	12.60	15.71	10.31	4.15	0.24	3.50
दून अस्पताल	0.14	4.07	-	19.72	0.09	7.75	18.31	2.13	0.90	0.06	1.28
राजकीय अस्पताल, ऋषिकेश		262.93	-	Nill		344.53	Nill	181.93	Nill	167.88	326.73
जिला हरिद्वार											
गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार	0.11	5.80	-	28.17	0.08	6.24	33.65	1.42	0.47	0.14	0.88
जिला नैनीताल जल संस्थान, हल्द्वानी		2.66	-	Nill	Nill	1.70	Nill	842.47	Nill	175.17	312.19
जिला ऊधमसिंहनगर											
राजकीय अस्पताल काशीपुर	Nill	296.47	-	Nill	Nill	393.60	Nill	185.73	Nill	187.13	347.13

8

ध्वनि अनुश्रवण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2020–21में विभिन्न शहरों में विभिन स्थलों पर ध्वनि तीवृता का अनुश्रवण किया गया जिसकी तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका मे दिया गया है।

अनुश्रवण केन्द्र	ध्वनि तीव्रता डीबी(ए) (दिन में)
रेसकोर्स, देहरादून	52.33
दून अस्पताल, देहरादून	61
घंटाघर, देहरादून	69.42
गांधी पार्क, देहरादून	56.75
सर्वे चौक, देहरादून	68.67
सीएमआई अस्पताल, देहरादून	67.25
नेहरू कालोनी, देहरादून	55.42
तीकोनिया चौक, हल्द्वानी	56.40
वीर शिवा स्कूल, हल्द्वानी	53.53
आवास विकास चौक, हल्द्वानी Awas-Vikas Chowk	50.36
मल्लीताल, नियर एन.पी.पी. आफिस, नैनीताल	53.40

9

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

उत्तराखण्ड राज्य में कुल 91 शहरी स्थानीय निकाय है जिसमें 08 नगर निगम भी शामिल हैं, जिसमें वार्ड की संख्या 1170 है। राज्य में 1588.57 एमटीडीठोस अपशिष्ट उत्पादन किया जाता है। 1140 (97.43 प्रतिशत द्ववार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन की शुरूवात की गई है, स्रोत अलगाव 460 (39.31 प्रतिशत), अपशिष्ट प्रक्रिया 723.15 एमटीडी की जाती है।91शहरी स्थानीय निकाय में से 66 शहरी स्थानीय निकाय को अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए भूमि चिहिन्त किया गया है । उत्तराखण्ड राज्य में 02 अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान/विक्रय सुविधाएं परिचालन में हैं।

देहरादून अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 300 एमटीडी तथा हरिद्वार अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 250 एमटीडी है। हरिद्वार में 10 एमटीडीप्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट/प्लास्टिक से ईंधन का प्रस्ताव है। आर डी एफके उपयोग के लिए 02 मेगावाट कचरे को उर्जा संयंत्र रूडकी में प्रस्तावित है।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें विशेष रूप से आसपास के नगर निकायों को समूह में रखकर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु परियोजना तैयार की गई है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि चयन का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्रम	नगर निकाय	वार्डों की संख्या	नगर निकाय की जनसंख्या	जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (TPD)	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि चिहिन्करण की स्थिति
जिला अल्मोडा					
	द्वाराहाट	4	2749	1.5	भूमि का चिहिन्करणकर लिया गया है।
	अल्मोडा	13	38958	10	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	रानीखेत	7	4085	1.53	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	चौखुटिया	.	4464		भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	विक्यासैंन	04	3275	2	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला बागेश्वर					
	बागेश्वर	11	34656	11	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	कपकोट	07	5365	2	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला चमोली					
	बद्रीनाथपुरी	04	2438	0.4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	जोशीमठ	09	17010	8.4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।

क्रम	नगर निकाय	वार्डों की संख्या	नगर निकाय की जनसंख्या	जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (TPD)	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि चिहिन्करण की स्थिति
जिला अल्मोडा					
	चमोली	11	21447	7.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	नन्दप्रयाग	04	2447	0.6	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	गौचर	07	8864	5.1	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	कर्णप्रयाग	07	9850	8	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	गैरसैण	07	8665	3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	पोखरी	07	6119	0.36	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	पिपलकोटी	04	3521	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	थराली	04	4482	0.35	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला चम्पावत					
	चम्पावत	09	11029	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	लोहाघाट	07	7926	3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	टनकपुर	11	21484	5.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	बनवसा	07	6023	3.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला देहरादून					
	डोईवाला	20	55791	33	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	विकासनगर	11	24019	16	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	हरर्बटपुर	09	10567	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	मसूरी	13	30118	18	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	देहरादून	100	803983	280	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	ऋषिकेश	40	106320	60	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला पौडी					
	पौडी	11	25440	12	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	दुगडडा	04	2422	1.08	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	कोटद्वार	40	135544	80	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	स्वर्गाश्रम	04	4669	1.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	सतपुली	04	4345	1	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	श्रीनगर	13	33123	6	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला हरिद्वार					
	झबरेडा	09	11186	10	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	मंगलौर	20	52971	16	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	हरिद्वार	60	251197	255	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	लक्सर	11	21760	10	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	शिवालिक नगर	13	33600	14	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	भगवानपुर	09	17179	9	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	रूडकी	40	184060	104	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	परियान कलियर	09	19201	6	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	लण्डौर	09	18370	8	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।

क्रम	नगर निकाय	वार्डों की संख्या	नगर निकाय की जनसंख्या	जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (TPD)	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि चिहिन्करण की स्थिति
जिला नैनीताल					
	नैनीताल	15	41377	22	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	भवाली	07	8443	3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	हल्द्वानी, काठगोदाम	60	280514	120	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	रामनगर	20	54787	24	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	कौलागढ	07	7611	3.69	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	लालकुआं	07	1644	4.2	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	भीमताल	09	14882	2.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला पिथौरागढ					
	धारचूला	07	7039	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	पिथौरागढ	20	65502	28	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	घंघोलीहाट	07	7112	1.7	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	बैरीनाग	07	7641	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	डीडीहाट	07	6522	3.6	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला रूद्रप्रयाग					
	अगस्तमुनी	07	6557	2.9	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	तिलवाडा	04	2900	0.98	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	रूद्रप्रयाग	07	9307	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	केदारनाथ	01	612	0.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	उखीमठ	04	3638	1.2	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला टिहरी					
	किर्तीनगर	04	2517	1.3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	देवप्रयाग	04	3093	5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	टिहरी	11	24014	9.6	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	चम्बा	09	10457	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	मुनीकीरेती	11	28636	14.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	घन्साली	07	7775	2.6	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	लंबगाव	04	2330	0.85	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	गाजा	04	1800	1	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	च्मयाला	07	5017	1	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	नरेन्द्रनगर	07	6033	1.2	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला उधमसिंहनगर					
	काशीपुर	40	175819	54	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	महुआडाबरा	07	7326	3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	जसपुर	20	50523	25	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	सुल्तानपुर पट्टी	07	9881	2	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	बाजपुर	13	35582	14	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	केलाखेडा	09	10929	6.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।

क्रम	नगर निकाय	वार्डों की संख्या	नगर निकाय की जनसंख्या	जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (TPD)	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि चिहिन्करण की स्थिति
	रूदुपुर	40	175723	60	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	किच्छा	20	74356	25	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	दिनेशपुर	09	11342	4	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	शक्तिगढ	07	7784	1.2	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	सितारगंज	13	31185	19	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	खटिमा	20	58494	27.3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	नानकमत्ता	07	8478	0.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	गुलारभोज	07	6957	5.6	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	महुआखेरागंज	09	12584	4.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	गदरपुर	11	23289	12.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
जिला उत्तरकाशी					
	बडकोट	07	7414	3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	उत्तरकाशी	11	27102	12	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	गंगोतरी	04	110	1	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	पुरोला	07	7931	0.75	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	चिल्यारीसौड	07	8334	2.5	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।
	नौगांव	07	5174	1.3	भूमि का चिहिन्करण कर लिया गया है।

10

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यक्रम

प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन

राज्य में जैव अनाशित कचरों के प्रबन्धन हेतु काम्पैक्टर एवं वेस्ट टू एनर्जीतकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में स्थापित होने वाले काम्पैक्टर एवं वेस्ट टू एनर्जी संत्रों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	प्रस्तावित प्लास्टिक कम्पैक्टर	कुल प्लास्टिक अपशिष्ट जनित (टन प्रतिदिन)	स्थापना की स्थिति
1	नगर निगम देहरादून	02	29.58	स्थापित किया जाना है।
2	नगर निगम ऋषिकेश	01	3.91	स्थापित कर लिया गया है।
3	नगर निगम रूडकी	02	6.77	स्थापित कर लिया गया है।
4	नगर निगम रूद्रपुर	02	6.46	स्थापित किया जाना है।
5	नगर निगम काशीपुर	02	6.46	स्थापित किया जाना है।
6	नगर निगम हल्द्वानी	01	10.32	स्थापित किया जाना है।
7	नगर पालिका परिषद रामनगर	01	2.01	स्थापित कर लिया गया है।
8	नगर पालिका परिषद खटीमा	01	2.15	स्थापित किया जाना है।
9	नगर पालिका परिषद मंगलोर	01	1.94	स्थापित किया जाना है।
10	नगर पालिका परिषद धारचुला	01	0.25	स्थापित कर लिया गया है।
11	नगर पालिका परिषद जसपुर	01	1.85	स्थापित किया जाना है।
12	नगर पालिका परिषद गदरपुर	01	0.85	स्थापित कर लिया गया है।
13	नगर पालिका परिषद टनकपुर	00		स्थापित कर लिया गया है।
14	नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर	01	1.23	स्थापित कर लिया गया है।
15	नगर पालिका परिषद किच्छा	01	2.73	स्थापित किया जाना है।
16	नगर पंचायत गैरसेण	01	0.31	स्थापित कर लिया गया है।
17	नगर पंचायत तिलवाडा	00		कार्यालय आदेश निर्गत कर लिया गया है।
18	नगर पंचायत बाजपुर	00		स्थापित कर लिया गया है।
19	नगर पंचायत बनवसा	00		स्थापित कर लिया गया है।

11

ई–कचरा प्रबन्धन

उत्तराखण्ड राज्य में ई.वेस्ट के रिसाईक्लर एवं डिसमेन्टलरहेतु 05 ईकाई स्थापित है। जिनका विवरण निम्नानुसार है। वर्तमान देहरादून शहर में 05 एकत्रण केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा अन्य नगर निगमों में ई–वेस्ट कलैक्शन सेंटरस्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। देहरादून तथा ऋषिकेश शहर में लगभग 55 कलैक्शन सेंटरस्थापित किये जाने की योजना है जिसका प्रबन्धन संबंधित ई–वेस्ट की ईकाइयों द्वारा किया जायेगा।

क्र.स.	रिसाईक्लर एवं डिसमेन्टलर का नाम	क्षमता (एम टी ए)
1.	एटेरो रिसाईकिलिंग प्रा0 लि0, भगवानपुर	1222.9
2.	भारत आयल एन्ड वेस्ट मैनेजमेंट लि0, लक्सर	33.81
3.	रिसोर्स ई–वेस्ट, सोल्यूशन प्रा0 लि0, बहादराबाद	371.92
4.	स्र्काटो मेटल रिसाईकिल प्लांट, रूड़की	45.38
5.	अनमोल पर्यावरण संस्थान समिति, दौलतपुर	8.050

12

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन

उत्तराखण्ड राज्य में परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु संयुक्त परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडराण एवं निस्तारण की व्यवस्था मै0 भारत आयल एण्ड वेस्ट मैनेजमैन्ट लि0 द्वारा लक्शर जिला हरिद्वार में स्थापित किया गया है। जिसकी भूमिभरण क्षमता 6.0 लाख टन है। तथा इसकी आयु 30 वर्ष हेतु बनायी गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 12,000 टन प्रति वर्ष क्षमता के भस्मक की व्यवस्था भी स्थापित है। वर्तमान में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित उद्योगों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं.	क्षेत्र	परिसंकटमय अपशिष्ट जनित उद्योगों की संख्या	कुल जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रा	
			Incinerable MT/A	Land disposabl
1	क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून	532	198.46	188.741
2	क्षेत्रीय कार्यालय रूडकी	2146	2478.8	9793.8
3	क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर	1278	2208	3642
4	क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी	258	Nil	0.25

जिला हरिद्वार में स्थापित संयुक्त परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण केन्द्र

13

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 02 संयुक्त संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण की व्यवस्था क्रमशः भगवानपुर रूडकी एवं गदरपुर उधमसिंह नगर में स्थापित है। राज्य के तराई क्षेत्रों में संचालित होने वाले समस्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के द्वारा जनित होने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्टों का निस्तारण संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण व्यवस्था के अन्तर्गत होता है।

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :–

1	कुल स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की संख्या	4425
3	कुल जनित जैव चिकित्सा अपशिष्टों की मात्रा (टन प्रतिदिन)	14.5
4	कुल स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की संख्या जिनके पास स्वयं की उपचार एवं निस्तारण की व्यवस्था है	2025
5	कुल जैव चिकित्सा अपशिष्टों की मात्रा जिनका उपचार एवं निस्तारण स्वयं स्वास्थ्य सुविधा केन्दों द्वारा किया जाता है (टन प्रतिदिन)	0.11
6	कुल संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण व्यवस्था	02
7	संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण व्यवस्था द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार की मात्रा (मैट्रीक टन प्रतिदिन)	4.39
9	मानको के उल्लंघन केसापेक्ष जारी किये गये कारण बताओ नोटिस	08
10	बोर्ड द्वारा आरोपितपर्यावरणीय क्षतिपूर्तिधनराशि (लाख) के अन्तर्गत अर्जित आय	Rs 19.27/-

संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटारण केन्द्र, रूड़की एवं गदरपुर

14

उद्योगों के स्थापना/संचालनार्थ सहमति हेतु ओ0सी0एम0एस0 की व्यवस्था

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति प्रकरणों का निस्तारण ओ0सी0एम0एस0के अन्तर्गत किया जाता है तथा उद्यमियों की सहुलियत के लिए राज्य बोर्ड द्वारा वर्क फ्लोडाईग्रामतैयार किया गया है जो कि निम्नानुसार है

Flow Chart for filing Consent to Establish (CTE) and Consolidated Consent & Authorization (CCA) Application to the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) in new Online Consent Management and Monitoring System (OCMMS) Through Single Window Clearance System

Web Site: www.investuttarakhand.com

↓

Registration
(Requirements: E-mail ID, Mobile No., PAN Card and Aadhar). IUID will be generated.

↓

Apply for Departmental Services

New/Existing Enterprise undergoing expansion	Existing Enterprise (For Renewal Only) (For operational units having CCA from the UKPCB issued through Ganga-XGN / OCMMS
↓	↓
Select No. 3 Apply for Pre-Establishment Services (For new investor)	Select No. 1: Click on: Apply for Registration of Existing Enterprise
↓	↓
Select No. 4 Apply for Pre-Operational Services (For investor who have already obtained CTE and willing to start operation)	Automatically Directorate of Industry will appear, select: ID 484.0 Service Name (Registration of Existing Enterprise) by Click on: Apply Now
↓	↓
Select Department: Uttarakhand Pollution Control Board	Select No. 4 (Apply for Pre-Operational Services)
↓	↓
Select CAF ID by down drop Select Appr. (CAF ID will be issued after In-principle approval through Single Window Clearance System).	List of 26 Documents will appear. (Upload any of 4 Documents related with your Unit and select: Save & Continue
↓	↓
Select Action: Apply Now	Fill form with required details and then: Save & Continue

Continue and Apply	Click on: 5 Other Departmental Services
Now you will be directly linked with http://ukocmms.nic.in/ (Online Consent Management and Monitoring System (OCMMS) portal of UKPCB.	↓ Select Department: Uttarakhand Pollution Control Board ↓ Select: ID 32.6 and EU ID by down drop Select Appr. (EU ID will be generated automatically for existing enterprise). ↓ Select Action: Apply Now ↓ Continue and Apply Now you will be directly linked with http://ukocmms.nic.in/ (Online Consent Management and Monitoring System (OCMMS) portal of UKPCB.

(In case of any query(ies) in filing above you may contact at:
Helpdesk (10:00 AM to 5:00 PM IST) | Toll Free 1800 -270-1213
Email helpdesk@investuttarakhand.com | WhatsApp +91 -7895857056

Note: Henceforth procedure for filing CTE/CCA application will be similar for all type of applications

↓

Following will appear
In Progress Application / Completed Application
Application No., Date, Application for, Name of Unit, Type, Certificate for, File No.

↓

Select: Application No.

↓

Following will appear

General	Other	Product	Fee	W.Emiss./Disch.	Air Emission	Documents

↓

(Please fill required information precisely in each above folder & Save.
You can edit /update information of click on Edit.
Upload required relevant documents in Documents folder by click on Documents and select Upload
(List of documents will appear. Upload relevant documents and Save than Exit.
You can delete uploaded files by click on Delete

↓

Do you want to save the application as	Completed	In Progress

(While filling application it will show In Progress. You can save In Progress application and your entered information will be Saved.

Completed

After entering all information in each folder, you can click on Completed
In case information is not complete, list of in-complete information will be displayed at Header with red colour
Please fill all information precisely and again click on Completed

↓

If Information is complete in all respect, system will show
Fee Payment Link

↓

Click on Submit

Options of mode of fee payment will appear as:
RTGS/NEFT
Net Banking
Debit Card
Credit Card

Please select your preferable mode of payment and pay required payment.
In case of RTGS/NEFT, you will have to generate challan and then print challan and thereafter fee can be made through ant Nationalized Bank.
(Please do not try payment again and again in same day, in case of any error).

↓

After successful payment of required fee your application for CTE/CCA will appear automatically to Regional Office of UKPCB.
Information will be sent through SMS by Portal.
You can also see status of your application at any time.

उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है तथा वर्ष 2019–20 में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर नियमानुसार कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम सं.	कुल उद्योगों की संख्या			पर्यावरणी नियमों के उल्लंघन के सापेक्ष निर्गत निर्देशों की संख्या	
	लाल	नारंगी	हरा	कारण बताओं नाटिस	बंदी आदेश
1	802	2951	2928	330	31

उत्तराखण्ड राज्य में कुल64 अति प्रदूषणकारी उद्योग संचालित हैं। इन उद्योगों का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित तकनीकी संस्थाओं के द्वारा अनुश्रवण किया जाता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा भी समय–समय पर भी इस श्रेणी के उद्योगों का अनुश्रवण भी किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय वार अति प्रदूषणकारी उद्योगों का विवरण एवं अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. स.	क्षेत्रीय कार्यालय	उद्योग की प्रकृति	उद्योगों की कुल संख्या	अनुपालन की स्थिति
1	क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर	• कागज उद्योग -24 • डिस्टलरी उद्योग -01 • चीनी मिल -03 • टैक्सटाइल मिल -01 • आटोमोबाइल -04 • अन्य -06	39	काशीपुर क्षेत्र में 0 2 उद्योगों को पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के सापेक्ष कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अन्य सभी उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। 03 उद्योगों को बन्दीकरण आदेश निर्गत किया गया है जो कि स्वयं के कारण संचालन में नहीं हैं।
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की	• कागज उद्योग -07 • डिस्टलरी उद्योग -01 • चीनी मिल -03 • टैक्सटाइल मिल -01 • आटोमोबाइल -03 • अन्य -03	18	सभी उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।
3	क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	• डिस्टलरी उद्योग -01 • चीनी मिल -01 • अन्य-01	03	सभी उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।
4	क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी	• कागज उद्योग -03 • अन्य-01	04	सभी उद्योग के द्वारा पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के प्रावधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न परियोजना के लोक सूनवाई की कार्यवाही की गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लोक सुनवाई दिनांक
1	श्री. राजेन्द्र प्रकाश उपाध्याय, बागेश्वर	07.01.2020
2	श्री. दीप चन्द्र वर्मा, बागेश्वर	08.01.2020
3	श्री. मनोज कुमार शाह, बागेश्वर	09.01.2020
4	मै0 जे.डी. मिनरल, पिथौरागढ़	12.01.2020
5	श्री. हरीश चन्द्रा कांडपाल, बागेश्वर	21.01.2020
6	श्री. दीवान सिंह रौतेला, बागेश्वर	22.01.2020
7	श्री. गोपाल राम, बागेश्वर	23.01.2020
8	श्री. मानि शिव शक्ति, बागेश्वर	30.01.2020

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लोक सुनवाई दिनांक
9	श्री. मनीष नन्द किशोर, बागेश्वर	31.01.2020
10	श्री. राजेन्द्र सिंह ढापोरि, बागेश्वर	04.02.2020
11	श्री. दिनेश परिहार, बागेश्वर	11.02.2020
12	श्री. भगवान चन्द्र जोशी, बागेश्वर	12.02.2020
13	श्री. रमेश चन्द्र सिंह, बागेश्वर	13.02.2020
14	श्री. जय एम्बिका माइनस, बागेश्वर	14.02.2020
15	श्री. किशोर सिंह, बागेश्वर	25.02.2020
16	श्रीमती आशा गाधया, बागेश्वर	26.02.2020
17	श्रीमती कमला देवी, बफिला, बागेश्वर	27.02.2020
18	निर्मला दाफोरि, बागेश्वर	28.02.2020
19	मै0 पारथ मिनरल, बागेश्वर	03.03.2020
20	मै0 एच.बी. कारपरेशन, बागेश्वर	04.03.2020
21	मै0 एसोसिसेट सोप स्टोन, पिथौरागढ़	05.03.2020
22	श्री. राजेन्द्र सिंह नगरकोटी, बागेश्वर	06.03.2020
23	श्री. गोविन्द सिंह भोयाल, बागेश्वर	07.03.2020
24	श्री. प्रकाश सिंह धापोला, बागेश्वर	23.11.20
25	मै0 जय माता दी मिनरल, कुरौली, बागेश्वर	28.12.20
26	मै0 बालाजी मिनरल, पारूदा, बागेश्वर	02.01.21
27	मै0 के0एस0 मिनरल, पिथौरागढ़	-
28	श्री. कान्ती लाल शाह, पिंडारी रोड़ बागेश्वर	07.01.21
29	श्री. रमेश चन्द्र मनजिला, कुरेली, बागेश्वर	11.01.20
30	श्री. हरीश चन्द्र जोशी, पिथौरागढ़	-
31	मै0 विष्णु मिनरल, पिथौरागढ़	-
32	मै0 उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवलमेंट बोर्ड, टिहरी गढ़वाल	-
33	श्री. राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, सिमखेत, बागेश्वर	05.01.21
34	मै0 भारत सिंह भाकुनि, बागेश्वर	11.12.20
35	श्री. संदीप शाह, बागनाथ वार्ड बाजार, बागेश्वर	14.12.20
36	मै0 श्री गणेश नैनवाल, पगौना, बागेश्वर	16.12.20
37	मै0 यूजेवीएनएल (शीरकारी बयोल रूपसियाबगढ एचईपी) पिथौरागढ़	21.12.20

16

प्रचार–प्रसार सम्बन्धित विवरण

1. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक आहुत की गयी जिसमें राज्य में स्थापित लघु एवं सुक्ष्म उद्योगों के पूर्व के वर्षों के सहमति शुल्क में शिथिलता दिया जाने तथा राज्य के उद्योगों द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध विचार विमर्श किया गया जिसमें सितारगंज में स्थापित सी0ई0टी0पी0 के मानकों पर भी विचार –विमर्श किया गया। राज्य में संचालित ई–वेस्ट, रिसाईकलर के प्रतिनिधियों के साथ भी विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया तथा ई–वेस्ट प्रबन्धन नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की सम्बन्ध में भी विचार–विमर्श किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि राज्य बोर्ड तथा ई–वेस्ट रिसाईकलर संयुक्त रूप से प्रदेश के प्रत्तेक नगर निगमों में ई–वेस्ट के संग्रहण हेतु संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगें। वर्तमान में देहरादून शहर में नगर निकायों में ई–वेस्ट संग्रहण केन्द्र की स्थापना की गयी है तथा अन्य नगर निगमों में ई–वेस्ट संग्रहण केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्टों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में नगर निकायों एवं ठतंदक वूदमते के साथ गोष्ठी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया जिसमें मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली में उल्लेखित म्गजमदकमक चतवकनबमत तमेचवदेपइपसपजल के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। जिसमें मुख्य रूप से ठतंदक वूदमते द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्टेशन प्राप्त करना, तथा ठतंदक वूदमत द्वारा राज्य में उनके द्वारा जनित होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का आगंणन करना, जनित प्लास्टिक अपशिष्टों के संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था स्थापित करना तथा राज्य के छोटे–छोटे नगर निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण एवं निस्तारण हेतु अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक विचार–विमर्श किया जाये।

3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा राज्य में स्थापित स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन एवं राज्य में स्थापित संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया जाये। जिसमें राज्य के सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को नियमानुसार प्राधिकार एवं सहमति लिये जाने, बड़े–बड़े स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किये जाने, संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्टों का नियमानुसार संग्रहण परिवहन एवं निस्तारण एवं स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों हेतु पूर्व की सहमति शुल्कों में शिथिलता के सम्बन्ध में भी विचार–विमर्श किया गया।

4. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इनविस हब, यूकेपीसीबी द्वारा उत्तराँचल पी.जी. कालेज आफ बायोमैडिल साइन्स एवं हास्पिटल के साथ मिलकर दिनांक 04.06.2020 को नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कालेज के विद्याथियों द्वारा जन जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक में प्रतिभाग किया गया।

5. दिनांक 06.06.2020 को मालदेवता स्थित सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों हेतु स्लोगन, चित्रकला एवं सफाई अभियान आयोजित किया गया। स्लोगन प्रतियोगिता में कक्षा चार से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त प्रतियोगिता के बाद विद्यार्थियों द्वारा मालदेवता स्थित बन्दल नदी जो कि पर्यटकों का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है, में सफाई अभियान किया गया।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-मियांवाला-वि.ख. डोईवाला-जिला-देहरादून
G.U.P.S. Miyanwala Doiwala Dehradun

17

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये विशेष कार्य

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में 03 शहरों क्रमशः देहरादून, ऋषिकेश एवं काशीपुर हेतु एक्शन प्लान फार इम्पुर्वमेंट आफ एयर क्वालिटि तैयार की गयी है। जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी अनुमोदन दी गयी है। उक्त एक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु वायु अधिनियम की धारा–18(1)(B) के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु निम्न विभागों को चिन्हित किया गया है।

1. परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
3. वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. यातायात पुलिस एवं जिला प्रशासन, उत्तराखण्ड।
5. खाद्यय एवं आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
6. कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
7. आवास विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त एक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु एक्शन बिन्दु एवं वित्तीय प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

क्र.स.	कार्य योजना बिन्दु	वित्तीय प्रावधान		
		देहरादून	काशीपुर	ऋषिकेश
1	Paving of shoulders along the urban roads.	15.00 करोड़	1.88 करोड़	1.1 करोड़
2	Tanker and tractor required for water spray on road.	0.45 करोड़	0.09 करोड़	0.09 करोड़
3	Vacuum road seeping machines	3.0 करोड़	1.5 करोड़	0.75 करोड़
4	Small vacuum cleaning machines for smaller roads (10 Nos)	1.2 करोड़	0.48 करोड़	0.24 करोड़

क्र.स.	कार्य योजना बिन्दु	वित्तीय प्रावधान		
		देहरादून	काशीपुर	ऋषिकेश
5	Mobile vehicular checking labs/PUC centers (04 nos)	0.6 करोड़	0.3. करोड़	0.30 करोड़
6	Emission inventory and source apportionment study	1.0 करोड़	1.0 करोड़	1.0 करोड़
7	Installation and AMC for 05 years for CAAQMS (03 numbers)	7.5 करोड़	2.5 करोड़	2.5 करोड़
8	Installation of additional 02 manual air quality monitoring stations	–	0.25 करोड़	0.25 करोड़
9	Installation Infra Red Cameras at major Traffic junctions to detect polluting vehicles (20 Numbers)	0.5 करोड़	–	–
10	I & E activities	1.0 करोड़	0.5 करोड़	0.5 करोड़
11	Pilot Porject on making agriculture waste Residue to Fire Briquettes	–	0.40 करोड़	–
	Total	30.25 करोड़	18.90 करोड़	6.73 करोड़

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में चिन्हित 09 प्रदूषणकारी नदी क्षेत्र हेतु एक्शन प्लान तैयार की गयी है जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी अनुमोदन दी गयी है। उक्त एक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु जल अधिनियम की धारा–33(1)(I) के अन्तर्गत निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु निम्न विभागों को चिन्हित किया गया है।

गंगा नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UKPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UEPPCB	UKPCB	Nil	Continuous activity.
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater and CETP outlet.	UKPCB	Nil	Continuous activity.
2. Networking of Conveyor System of CETP:				
a)	Establishment of leftover conveyor networking leading to CETP	SIIDCUL	**241.00**	The work order is issued and will be completed byOctober, 2020.

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
3. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of all 22 - drains.	UttarakhandPeyjalJal Nigam	Nil	05 STP are operational with total capacity of 145 MLD in Haridwar town. Tapping of all drains of Haridwar is completed.
b)	Installation of 2 -Nos. of STPs (68 MLD at Jagjeetpur and 14 MLD at Sarai.			
4. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all 40 wards of town.	Nagar Nigam, Haridwar.	Nil	The Treatment and disposal facility available and operational.
b)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.			
c)	Efficient Operation of waste processing facilities.			
5.Groundwater Quality:				
a)	Groundwater quality monitoring at during summer (May -June) and winter (December-January).	UKPCB .	-	Ground water monitoring is being carried out by UKPCB on half yearly basis.
6. Flood Plain Zone:				
a)	Flood plain zoning	Irrigation Department	--	Prepared and Notified by GoU.
b)	Regulating restricted activities in flood plan zones.	Irrigation Department / District Administration	--	Continuous activity
7. Environmental Flow:				
a)	Maintain e -flow in river Ganga and its major tributaries	UJVN Ltd.	--	Continuous activity
8. Catchment are treatment:				
a)	The catchment are treatment of the river is proposed to be carried out through CAMPA, the work will be initiated from January 2021.			

कल्याणी नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UKPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UKPCB	UKPCB	Nil	Continuous activity.
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater and CETP outlet.	UKPCB	Nil	Continuous activity.

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
2. Networking of Conveyor System of CETP:				
a)	Establishment of leftover 8 Km. conveyor networking leading to CETP.	SIDCUL	960.00	Work order issued and work to be completed by January 31,2021.
3. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of 22- drains.	UttarakhandPeyjalJal Nigam.	DPR under preparation	Two year from sanction of funds..
b)	Installation of 2 -Nos. of STPs at Rampura Trenching Ground (18 MLD) and Ravindra Nagar Maidan (26 MLD). –			
c)	Operation and Maintenance of 2 Nos. of STPs for 15 years; Operation and Maintenance of 3 Nos. I&D Works for 15 years; Land acquisition etc. expenses.			
4. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all 40 wards of town.	Nagar Nigam, Rudrapur.	DPR of Rs. 3873 lakh has been approved with integrated solid waste management Plan withHaldwani Cluster. The DPR of Legacy waste for the amount of 2.10 crore approved and work order issued	Within two year.
b)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.			
c)	Setting up solid waste processing facilities.			
5.Groundwater Quality:				
a)	Groundwater quality monitoring.	UKPCB	-	Monitoring is been carried out twice in the Year
6. Flood Plain Zone:				
a)	River Kalyani is non-perennial water body, therefore flood plain zoning is not required for river Kalyani.			
7. Environmental Flow:				
a)	River Kalyani is non-perennial water body. Irrigation department has initiated the flow measurement of river from October 2020			
8. Catchment area treatment:				
a)	The catchment area treatment of river Kalyani is proposed by CAMPA. The work will be started from 01.01.2021.			

कोसी नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UKPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UEPPCB	UKPCB	Nil	Continuous activity.
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater.	UKPCB	Nil	Continuous activity.
2. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of MukundpurNala	UttarakhandPeyjalJal Nigam	1382.06	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds.
b)	Installation of STP of 110 KLD capacity at Mukundpur			
c)	Operation and Maintenance of STP for 15 years; Operation and Maintenance of I&D Works for 15 years; Land acquisition etc. expenses			
3. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all 40 wards of town.	Nagar PalikaParishad, Sultanpur Patti	DPR of Rs 1399.00 has been send Govt. of India for approval.(The facility is integrated with Gadarpur Cluster)	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds
b)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.			
c)	Setting up solid waste processing facilities.			
4.Groundwater Quality				
a)	Groundwater quality monitoring at during summer (May-June) and winter (December-January).	UKPCB	-	Twice in a year
5. Flood Plain Zone:				
a)	Flood plain zoning of Rivers Gola (along Kichha town) and Kosi (from Sultanpur Patti to Patti Kalan).	Irrigation Department	The department of irrigation has proposed to prepare Flood Plan Zonning of River Kosi with own resources.	Work will be completed within 18 months after approval .
6. Environmental Flow:				
a)	River Kosicarrying the natural water during all seasons and restricted flow during the non -monsoon periods is maintained.			
7. Catchment are treatment:				
a)	The catchment are treatment of the river is proposed to be carried out through CAMPA, the work will be initiated from January 2021.			

नन्धौर /कैलाश नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UKPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UEPPCB	UKPCB	Nil	Continuous activity.
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater.	UKPCB	Nil	Continuous activity.
2. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of MukundpurNala	UttarakhandPeyjalJal Nigam	**1382.06**	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds.
b)	Installation of STP of 110 KLD capacity at Mukundpur	UttarakhandPeyjalJal Nigam	**1382.06**	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds.
c)	Operation and Maintenance of STP for 15 years; Operation and Maintenance of I&D Works for 15 years; Land acquisition etc. expenses	UttarakhandPeyjalJal Nigam	**1382.06**	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds.
3. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all 40 wards of town.	Nagar PalikaParishad, Sultanpur Patti	DPR of Rs 1399.00 has been send Govt. of India for approval.(The facility is integrated with Gadarpur Cluster)	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds
b)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.	Nagar PalikaParishad, Sultanpur Patti	DPR of Rs 1399.00 has been send Govt. of India for approval.(The facility is integrated with Gadarpur Cluster)	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds
c)	Setting up solid waste processing facilities.	Nagar PalikaParishad, Sultanpur Patti	DPR of Rs 1399.00 has been send Govt. of India for approval.(The facility is integrated with Gadarpur Cluster)	Proposed activities will be completed in two years from sanction and release of funds
4.Groundwater Quality				
a)	Groundwater quality monitoring at during summer (May-June) and winter (December-January).	UKPCB	-	Twice in a year
5. Flood Plain Zone:				
a)	Flood plain zoning of Rivers Gola (along Kichha town) and Kosi (from Sultanpur Patti to Patti Kalan).	Irrigation Department	The department of irrigation has proposed to prepare Flood Plan Zonning of River Kosi with own resources.	Work will be completed within 18 months after approval .
6. Environmental Flow:				
a)	River Kosicarrying the natural water during all seasons and restricted flow during the non -monsoon periods is maintained.			
7. Catchment are treatment:				
a)	The catchment are treatment of the river is proposed to be carried out through CAMPA, the work will be initiated from January 2021.			

पीलाखाल नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UKPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UKPCB	UKPCB	Nil	Continuous activity.
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater.	UKPCB	Nil	Continuous activity.
2. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of GhogaNala and construction of STP.	UttarakhandPeyjalJal Nigam	DPR of Rs. 4203 Lakh send to NMCG for approval.	Proposed activity will be completed in two year from sanction and release of fund.
b)	Installation of one STP of 8.5 MLD capacity.			
c)	Operation and Maintenance of STP for 15 years; Operation and Maintenance of I&D Works for 15 years; Land acquisition etc. expenses			
3. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all wards of town.	Nagar PalikaParisad, Bazpur.	DPR for Rs. 1349 Lakh for treatment of disposal facility send to GoU. This facility is integrated with Gadarpur cluster.	Two year after sanction of fund
b)	Source segregation of wastes in all wards of town.			
c)	Setting up solid waste processing facilities.			
4.Groundwater Quality				
a)	Groundwater quality monitoring at during summer (May -June) and winter (December-January).	UKPCB	-	Monitoring is being carried out twice in a year.
6. Flood Plain Zone:				
a)	River Pilakhar is non-perennial water body, therefore flood plain zoning is not required for river Pilakhar.			
7. Environmental Flow:				
a)	River Pilakharis non -perennial water body. Irrigation department has initiated flow measurement from October 2020.			
8. Catchment area treatment:				
a)	The catchment area treatment of river is proposed by CAMPA. The work will be started from 01.01.2021.			

ढेला नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UEPPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UEPPCB	UEPPCB	Nil	Continuous activity.
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater.	UEPPCB	Nil	Complied (July, 2019 Onwards)
2. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of 2- drains namely- Laxmipur Minor Nala and Kailash Mandal wala Nala and construction of 18-MLD capcity STP.	UttarakhandPeyjalJal Nigam	-	December, 2019
b)	Installation and Diversion of 2 -drains Namely- Gabiya Nala and Ice Factory Nala and and construction of 14-MLD capacitySTP.		9779.00	Two year from sanction funds
c)	Interception and diversion of 2- drains namely- Beljudi Nala and Gularia Nala and construction of 2 -STP (250 KLD and 500 KLD capacities) including) O & M for 15 years.	UEPPCB	1206.00	After commissioning of STP.
d)	Monitoring of STPs outlet effluent quality w.r.t. STPs effluent discharge norms prescribed under E(P) Rules, 1986 as amended			
e)	Utilisation of treated sewage for horti - agriactivities, construction activity, irrigation by irrigation drainage channels fo treated sewage, industrial activity.	PeyjalJal Nigam/Irrigation Depatt.	–	One Year
3. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all 40 wards of town.	Nagar Nigam, Kashipur	**3231.00**	October, 2019
b)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.			April, 2020
c)	Setting solid waste processing facilities			Two years from sanction of fund
4.Groundwater Quality:				
a)	Groundwater quality monit oring at during summer (May-June) and winter (December - January).	UEPPCB	-	Continuous activity
5. Flood Plain Zone:				
a)	Prohibition on illegal disposal of waste and removal of encroachment from river banks.	District Administration/Nagar Nigam, Kashipur	-	Continuous activity
6. Environmental Flow (E-Flow) and Groundwater recharge measures:				
a)	Provisions of roof top rain water harvesting in Govt. building and construction of artificial lakes/ponds, wherever feasible.	District Administration/Irrigation Deptt.	-	Continuous activity
7. Green Development:				
a)	River Training works to prevent soil erosion and Plantation in catchment of of river Dhela	Tarai West Forest Division Ramnagar	**24.52**	One years from sanction of project.

बेला नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requirement (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UEPPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UEPPCB	UEPPCB	Nil	Two months (by Sept., 2019)
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater.	UEPPCB	Nil	Complied (July, 2019 Onwards)
2. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of 2- drains namely- Jaspur Khurd Nala and Hempur Ismail Nala	UttarakhandPeyjalJal Nigam	**1923.39**	Two year from sanction funds
b)	Installation of 2_Nos. of STPs at _ Jaspur Khurd Nala and Hempur Ismail Nala.			
c)	Operation and Maintenance of 2 Nos. of STPs for 15 years; Operation and Maintenance of 3 Nos. I&D Works for 15 years; Land acquisition etc. expenses.			
d)	Utilisation of treated sewage for horti-agriactivities, construction activity, irrigation by irrigation drainage channels fo treated sewage, industrial activity.	UttarakhandPeyjalJal Nigam/Irrigation Depatt./ Nagar Nigam, Kashipur	–	One Year
3. Solid Waste Management:				
a)	Provision of Door to door collection of solid waste in all 40 wards of town.	Nagar Nigam, Kashipur	**3231.00**	October, 2019
b)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.			April, 2020
c)	Setting up integrated solid waste, C& D processing and disposal facilities solid waste processing facilities.			Two years from sanction of fund
4.Groundwater Quality:				
a)	Groundwater quality monitoring at salient points in the catchment of river Bhela durin g summer (May-June) and winter (December - January).	UEPPCB	-	Continuous activity
5. Flood Plain Zone:				
a)	Prohibition on illegal disposal of waste and removal of encroachment from river banks.	District Administration/Nagar Nigam, Kashipur	-	Continuous activity
6. Environmental Flow (E-Flow) and Groundwater recharge measures:				
a)	Provisions of roof top rain water harvesting in Govt. building and construction of artificial lakes/ponds, wherever feasible.	District Administration/Irrigation Deptt.	-	Continuous activity
7. Green Development:				
a)	River Training works to prevent soil erosion of river Bhela	Tarai West Forest Division Ramnagar	**21.22**	One years from sanction of project.

सुसवा नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requiremet (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UEPPCB	Nil	One month
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UEPPCB	UEPPCB	Nil	Two months (by Sept., 2019)
2. Sewage Management:				
A Upper catchment of River Suswa (Before Mothrawala):				
a)	Tapping of 177 Nos of nalas/drain and 2901 nos. open household outlets on both banks of river Rispana.	UttarakhandPeyjalJal Nigam	-	March, 2021
b)	Carrier line of 30.88 Km and appurtenant works.			
c)	Construction of STP (1.0 MLD Capacity)			
d)	Diversion structure of Bindal river to 68 MLD STP			
B.Mothrawala to Shyampur Area:				
a)	Interception and diversion of 3 - drains namely - Nala Sapera Basti; Nala near Rajive Gandhi International Stadium; and Nala Shyampur near Polytechnic.	UttarakhandPeyjalJal Nigam	5816.00	Two Year from sanction of funds.
b)	Installation of 3 -Nos, of STPs at -Nala Near Rajiv Gandhi International Stadium; and Nala Shyampur near Polytechnic.			
c)	Operation and Maintenance of 3 Nos, of STPs for 15 years; operation and Maintenance of 3 Nos, I & D works for 15 Years; Land acquisition etc. expenses.			
d)	Monitoring of STPs outlet effluent quality w.r.t. STPs effluent discharge norms prescribed under E(P) Rules, 1986 as amended .	UEPPCB	Nil	Complied monitoring already started. New STPs will be added.
3. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all wards of town.	Nagar Nigam, Dehradun/Nagar Palika Doiwala		October, 2019
b)	Source segregation of w astes in all 40 wards of town.	Nagar Nigam, Dehradun/Nagar Palika Doiwala		April, 2020
c)	Setting up integrated solid waste processing and disposal facility.	Nagar Nigam Dehradun		Operation
Nagar Palika Parisad, Doiwala				
d)	Door to door collection o f solid waste in all wards of town.	Nagar Palika Parisad Doiwala	Nil	October, 2019
e)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.	Nagar Palika Parisad Doiwala	NIl	April, 2020
f)	Setting up solid waste processing and disposal facility.	Nagar Palika Parisad Doiwala	2569.00	Two year from sanction of funds.

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requiremet (Rs. In Lacs)	Time Target
g)	Utilisation of treated sewage for horti agriactivities, construction activity, irrigation by irrigation drainage channels of treated sewage, industrial activity -	Peyjal Jal Nigam/Irrigation Deptt. /Nagar Nigam, Dehradun/Nagar Palika Parisad, Doiwala		One years
4.Groundwater Quality:				
a)	Groundwater quality monitoring at salient points in the catchment of river Suswa during summer (May-June) and winter (December-January).	UEPPCB	-	Continuous activity
5. Flood Plain Zone:				
a)	Flood Plain Zoning of Suswa River	State Irrigation Department	86.76	18 Months from sanction of funds.
b)	Prohibition on illegal disposal of waste and removal of encroachment from river banks.	Nagar Nigam, Dehradun/Nagar Palika Parisad, Doiwala		
6. Environmental Flow (E-Flow) and Groundwater recharge measures:				
a)	Provisions of roof top rain water harvesting in Govt. building and construction of artificial lakes/ponds, wherever feasible.	District Administration/Irrigation Deptt.	-	Continuous activity
7. Green Development:				
a)	Development of green coverage along the suswa river and its catchment.	Forest Deptt.	-	Two year.

किच्छा नदी हेतु कार्य योजना

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requiremet (Rs. In Lacs)	Time Target
1. Industrial Effluent Management:				
a)	Routine /surprise inspection GPIs and Red category of industries for ensuring compliance of effluent discharge standards as prescribed under E (P) Rules, 1986, as amended.	Special Environmental Surveillance Task Force / UEPPCB	Nil	Continuous activity.
b)	Strengthening of Environment Surveillance Squad (ESS) of UEPPCB	UEPPCB	Nil	Continuous activity.
c)	Monitoring of drains carrying industrial wastewater.	UEPPCB	Nil	Continuous activity.
2. Sewage Management:				
a)	Interception and diversion of 6 drains namely - Maharana Pratap Chowk se Khatima Ki Aur Janey wala Nala -I; Maharana Pratap Chowk se Khatima Ki Aur Janey Wala Nala -II, Purani Mandi Wala Nala-I; Pura ni Mandi Wala Nala -II; and Shiv Magar Mandi Wala Nalaand construction of 18 - MLD capacity STP.	UttarakhandPeyjalJal Nigam		
b)	Sewer line from 6 –drains to sewage pumping station. Construction of sewage pumping stations.		**1620.00**	Two year from sanction funds
c)	Rising main from SPS to proposed STPs: Cosntruction of Sewage Treatment Plant (2 MLD Capacity) and other miscellaneous works Land acquisition, O & M Works, E& M works centage etc.			
d)	Monitoring of STPs outlet effluent quality w.r.t. STPs effluent discharge norms prescribed under E(P) Rules, 1986 as amended.	UEPPCB	-	After commissioning of STP
e)	Utilisation of treated sewage for flushing, construction activity, irrigation by irrigation drainage channels fo treated sewage, industrial activity.	UttarakhandPeyjalJal Nigam/Irrigation Depatt.	–	One Year
3. Solid Waste Management:				
a)	Door to door collection of solid waste in all 40 wards of town.			October, 2019
b)	Source segregation of wastes in all 40 wards of town.	Nagar Palika Parisad, Kichha	-	April, 2020
c)	Setting up integrated solid waste processing facilities.			March 2020

SN	Action Points	OrganisationResponsible for Execution of the Action Plan	Budgetary Requiremet (Rs. In Lacs)	Time Target
4.Groundwater Quality:				
a)	Groundwater quality monitoring at during summer (May-June) and winter (December-January).	UEPPCB	-	Continuous activity
5. Flood Plain Zone:				
a)	Flood Plain Zoning of Kichha River	State Irrigation Department	72.89	18 Months from sanction of funds.
b)	Prohibition on illegal disposal of waste and removal of encroachment from river banks.	District administration/ Nagar Palika Parisad, Kichha	-	Continuous activity
6. Environmental Flow (E-Flow) and Groundwater recharge measures:				
a)	Provisions of roof top rain water harvesting in Govt. building and construction of artificial lakes/ponds, wherever feasible.	District Administration/Irrigation Deptt.	-	Continuous activity
7. Green Development:				
a)	Development of green coverage along the Kichha river and its catchement	Forest Department	-	Two years

उत्तराखण्ड शासन द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष के चयन हेतु सेवानियमावली राज्य बोर्ड के सहयोग से तैयार किया गया है प्रतिलिपि संलग्नक–01 पर संलग्न है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में ईधन नीति तैयार की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्नक–02 पर संलग्न है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य सरकार के अनुरोध पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दून वैली नोटिफिकेशन 1989 में संशोधन कर इसे सरलीकरण किया गया है। नोटिफिकेशन की प्रति संलग्नक–03 पर संलग्न है।

18

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक बजट

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2020–21 का वार्षिक बजट निम्नानुसार है

Proposed Budget for the financial year 2020-21(Lac)				
S. N.	Account Head	Actual Income earned during F.Y. 2019-20 {upto Dec.19}	Proposed Budgeted Income for Fin. Yr. 2020-21	Remark
I		Operational Income :		
1	Consent Fee	1172.95	990.00	क्रम संख्या–1 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोविड–19 संक्रमण / लॉकडाउन के कारण जिन उद्योगों के द्वारा 31.03.20 तक सहमति प्राप्त की गयी है। उनकी वैधता अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गयी है। वर्तमान में मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में आहुत बैठक दिनॉक 16.05.20 में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गय है कि जिन पर्यटन/औद्योगिक इकाईयों को संचालन की सहमति दिनॉक 31.03.20 तक दी गयी थी, ऐसे सभी इकाईयों को संचालन की सहमति ऑरेंज एवं ग्रीन श्रेणी में 31.03.2021 तक बिना अतिरिक्त शुल्क लिये बढ़ाये जाना है। इस प्रकरण को बोर्ड की 24वीं बैठक में प्रस्तावित किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2020–21 में सहमति शुल्क आय में कमी आयेगी। क्रम संख्या –06 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रू0 50 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गयी है। इसके अतिरिक्त रू0 55 लाख की धनराशिविभिन्न संस्थानों को कोविड–19 के संक्रमण की रोकधाम हेतु दिया गया है। उक्त धनराशियों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2020–21 में सावधि जमा राशि के ब्याज में भी कमी आयेगी, जिस कारण सावधि जमा ब्याज में कुल रू0 5.05 करोड़ को प्रावधान रखा गया है। क्रम संख्या–11 मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश के क्रम में विभिन्न उद्योगों पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति काआंकलन कर निर्देश जारी किये गये है। आंगणन के अनुसार रू0 33 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है। वर्तमान में प्रकरण पर मा0 उच्चतम न्यायालय, द्वारा स्टे आदेश दिया गया है। लेकिन रू0 35 करोड को वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित आय में रखा गया है।
2	NOC fee	82.98	210.00	
3	Hazardous Fee	3.21	28.00	
4	Satck & Analysis Fee	1.78	22.00	
5	Bio-Medical Fee	99.87	177.00	
6	Interest On FDR & Saving	738.66	508.50	
7	Other Fee	2.19	6.00	
8	E-Waste Fee	0.70	21.00	
9	Plastic Waste Fee	2.00	21.00	
10	Battery Fee	0.00	21.00	
11	Environment Compentation	42.26	3500.00	
12	Bank Guarntee Forfited	0.00	50.00	
13	Public Hearing Fee	33.75	100.00	
14	NAMP/NWMP-CPCB {Reimb.}	4.18	50.00	
	Total :	2184.53	5704.50	

Proposed Budget for the financial year 2020-21(Lac)				
S. N.	Account Head	Actual Income earned during F.Y. 2019-20 {upto Dec.19}	Proposed Budgeted Income for Fin. Yr. 2020-21	Remark
	II	Operational Expenditure :		
1	Head Office	415.12	1661.00	प्रस्तावित बजट में वेतन भत्तो के शासनादेशो के अनुसार जारी डी0ए0 इत्यादि से होने वाली बढोत्तरी एवं जल एवं वायु गुणवत्ता एवं बायोमेडिल स्टडी एवं प्रचार प्रसार एवं कार्यालय द्वारा जल एवं वायु गुणवत्ता के परीक्षण हेतु प्रावधान किया गया है।
2	RO Dehradun	82.03	265.95	प्रस्तावति बजट में वेतन भत्तो के शासनादेशो के अनुसार जारी डी0ए0 इत्यादि से होने वाली बढोत्तरी एवं कार्यालय द्वारा जल एवं वायु गुणवत्ता के परीक्षण एवं कार्यालय भवन का जीणोद्वार किया जाना है, प्रस्तावित बजट मै। प्रावधान किया गया है।
3	RO Roorkee	60.85	161.30	प्रस्तावति बजट में वेतन भत्तो के शासनादेशो के अनुसार जारी डी0ए0 इत्यादि से होने वाली बढोत्तरी एवं कार्यालय द्वारा जल एवं वायु गुणवत्ता के परीक्षण हेतु प्रस्तावित बजट में प्रावधान किया गया है।
4	RO Kashipur	56.5	130.46	प्रस्तावति बजट में वेतन भत्तो के शासनादेशो के अनुसार जारी डी0ए0 इत्यादि से होने वाली बढोत्तरी एवं कार्यालय द्वारा जल एवं वायु गुणवत्ता के परीक्षण हेतु प्रस्तावित बजट में प्रावधान किया गया है।
5	ROHaldwani	64.05	212.76	प्रस्तावति बजट में वेतन भत्तो के शासनादेशो के अनुसार जारी डी0ए0 इत्यादि से होने वाली बढोत्तरी एवं कार्यालय द्वारा जल एवं वायु गुणवत्ता के परीक्षण एवं कार्यालय भवन का जीणोद्वार किया जाना है, प्रस्तावित बजट में प्रावधान किया गया है।
	Total :	**678.55**	**2431.47**	

S. N.	Account Head	Actual Income earned during F.Y. 2019-20 {upto Dec.19}	Proposed Budgeted Income for Fin. Yr. 2020-21	Remark
II		Capital Expenditure :		
1	Head Office	75.95	1344.00	प्रस्तावित बजट में नये अनुश्रवण केन्द्रों हेतु मशीन एवं पी0एम0 10 – 2.5 एवं सी0ए0क्यू0एम0एस वाहन इत्यादि मद मे क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
2	RO Dehradun	2.49	40.50	प्रस्तावित बजट में प्रयोगशाला हेतु मशीन एव वाहन मद में क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
3	RO Roorkee	1.86	135.25	प्रस्तावित बजट में प्रयोगशाला हेतु मशीन एव वाहन एवं कार्यालय हेतु भूमि मद में क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
4	RO Kashipur	0.04	140.50	प्रस्तावित बजट में प्रयोगशाला हेतु मशीन एव वाहन एवं कार्यालय हेतु भूमि मद में क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
5	ROHaldwani	0.61	35.25	प्रस्तावित बजट में प्रयोगशाला हेतु मशीन एव वाहन मद में क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
	Total :	80.95	1695.50	

Budget Summary 2020-21		
(A)	Total Proposed Budgeted Income	5704.50
(B)	Total Proposed Budgeted Expenditures	4126.97
(A-B)	Budget Surplus/ Deficit	1577.53

Proposed Budgeted Income for the financial year 2020-21 {Rs. in Lac}

S. N.	Head	Income Earned upto Dec.2019	Proposed Budgeted Income for F.Y 2020-21					
			HO	ROD	ROR	ROK	ROH	Budgeted Income for Fin. Yr. 2020-21
1	Consent Fee	1172.95	180.00	180.00	360.00	150.00	120.00	990.00
2	NOC fee	82.98	100.00	20.00	35.00	50.00	5.00	210.00
3	Hazardous Fee	3.21	5.00	5.00	3.00	10.00	5.00	28.00
4	Satck & Analysis Fee	1.78	1.00	5.00	1.00	10.00	5.00	22.00
5	Bio-Medical Fee	99.87	2.00	50.00	25.00	50.00	50.00	177.00
6	Interest On FDR & Saving	738.66	500.00	1.50	1.50	3.00	2.50	508.50
7	Other Fee	2.19	2.00	1.00	0.50	2.00	0.50	6.00
8	E-Waste Fee	0.70	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00	21.00
9	Plastic Waste Fee	2.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00	21.00
10	Battery Fee	0.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00	21.00
11	Environment Compentation	42.26	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00
12	Bank Guarntee Forfited	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
13	Public Hearing Fee	33.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
14	NAMP/NWMP-CPCB {Reimb.}	4.18	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	Grand Total - Receipts :	**2184.53**	**4505.00**	**277.50**	**429.00**	**290.00**	**203.00**	**5704.50**

S. N.	Accounting Head	Actual Expenditure Incurred During the period Apr.2019 to Dec.2019. {Rs. In Lac}						Proposed Budget for the Fin. Yr. 2020 -21{ Rs. In Lac}					
		HO	ROD	ROR	ROK	ROH	Total Exp.	HO	ROD	ROR	ROK	ROH	Total Proposed Expenditur for Fin.Yr. 2020-21
I	***Pay & Allowances :***												
	Salary, Wages & Allowances	154.57	49.09	27.03	27.96	35.59	**294.24**	200.00	90.00	60.00	45.00	65.00	**460.00**
	EPF -Employer Contributions	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	**30.09**	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**50.00**
	Total	**184.66**	**49.09**	**27.03**	**27.96**	**35.59**	**324.33**	**250.00**	**90.00**	**60.00**	**45.00**	**65.00**	**510.00**
II	***Remunerations & Fee :***												
	Fees to Board Members	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10.00**
	Tech. Consultancy, WED & Seminar	7.56	0.49	0.00	0.00	0.00	**8.05**	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	**28.00**
	Total	**7.56**	**0.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.05**	**30.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**38.00**
III	***Administrative Expenses :***												
	Travelling & Conveyance	1.99	0.58	0.23	3.00	0.51	**6.31**	10.00	3.00	3.00	5.00	2.00	**23.00**
	Rent & Taxes	0.00	0.00	2.59	3.55	0.29	**6.43**	5.00	1.00	7.00	10.00	2.00	**25.00**
	Office & Misc. Expenses	4.66	1.13	2.26	1.97	0.91	**10.93**	10.00	3.00	4.50	5.00	5.00	**27.50**
	Printing, Stationery & Postage	4.17	1.36	1.08	0.41	0.31	**7.33**	10.00	2.50	2.50	2.50	1.50	**19.00**
	Vehicle Maint. & Fuel	11.28	3.46	3.69	2.64	1.50	**22.57**	20.00	7.50	8.00	5.00	5.00	**45.50**
	Adverts & Public Hearing	22.78	0.37	0.09	1.00	0.00	**24.24**	50.00	1.00	1.00	2.00	1.00	**55.00**
	Hospitality & Emp. Welfare	1.86	0.07	0.09	0.50	0.00	**2.52**	10.00	0.50	0.50	1.50	1.00	**13.50**
	Training, Workshops & Books	0.17	0.00	0.00	0.75	0.00	**0.92**	10.00	1.00	2.00	2.00	2.00	**17.00**
	Leaseline / Online-Bsnl	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	**10.29**	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	**35.00**
	Electricity & Water charges	8.29	1.07	0.60	0.58	3.03	**13.57**	15.00	2.00	2.00	2.00	2.00	**23.00**
	Building Maintenance & Housekeeping	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	**0.87**	25.00	75.00	1.50	2.00	75.00	**178.50**
	Legal & Audit & Professional	58.66	0.40	0.34	0.32	0.20	**59.92**	75.00	1.25	1.00	1.50	1.00	**79.75**
	Outsourcing & Contractors	39.19	10.19	14.28	7.74	15.45	**86.85**	75.00	22.00	30.00	15.00	25.00	**167.00**
	Telephone Expenses	0.36	0.00	0.00	0.02	0.00	**0.38**	5.00	0.50	0.40	1.00	1.00	**7.90**
	Vehicle Hire Charge	5.97	1.00	2.18	2.44	0.56	**12.15**	15.00	2.00	2.00	5.00	1.50	**25.50**
	Total	**169.67**	**19.63**	**28.30**	**24.92**	**22.76**	**265.28**	**350.00**	**127.25**	**70.40**	**64.50**	**130.00**	**742.15**
IV	***Other Expenses :***												
	SOE Report	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	**4.99**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Public Awareness	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	15.00	2.00	2.00	2.00	2.00	**23.00**
	Publicity & Broadcasting (Prachar-Prasar)							200.00					**200.00**
	Total	**4.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.99**	**215.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**223.00**
V	***Laboratory Expenses :***												
	Sample Testing & Lab. Exp.	48.24	1.69	0.10	0.77	1.38	**52.18**	150.00	8.00	5.00	5.00	5.00	**173.00**
	Transport for Sampling kits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**4.00**
	Total	**48.24**	**1.69**	**0.10**	**0.77**	**1.38**	**52.18**	**150.00**	**9.00**	**6.00**	**6.00**	**6.00**	**177.00**
VI	**NAMP-Cpcb (Programme):**												
A	***Sampling & Analysis Cost :***												
	Chemical, Filter Papers etc.		2.11	0.00	0.53	0.00	**2.64**	0.00	6.00	2.00	2.50	1.00	**11.50**

	Maintanance & Other Expenses		1.00	0.39	0.00	0.00	**1.39**	0.00	2.50	2.00	1.50	1.00	**7.00**
B	***Manpower Cost :***												
	Salary of Scientific Asst.		8.02	5.03	2.32	4.32	**19.69**	0.00	7.70	7.70	2.16	2.16	**19.72**
	Salary of Lab & Filed Asst.							0.00	19.50	9.20	4.80	3.60	**37.10**
	Total	**0.00**	**11.13**	**5.42**	**2.85**	**4.32**	**23.72**	**0.00**	**35.70**	**20.90**	**10.96**	**7.76**	**75.32**
VII	**Air & Water Quality Prog.**												
A	*Bio-Medical Waste Study*						0.00	150.00					**150.00**
	Air Quality Sources Study						0.00	300.00					**300.00**
	Water Quality Study						0.00	200.00					**200.00**
B	***Manpower Cost :***												
	Salary of JRF-4						0.00	16.00					**16.00**
	Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**666.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**666.00**
	GRAND TOTAL	**415.12**	**82.03**	**60.85**	**56.50**	**64.05**	**678.55**	**1661.00**	**265.95**	**161.30**	**130.46**	**212.76**	**2431.47**

Proposed Budget of the Board for the Fin. Yr.2020-21. {Rs. In Lac}

Accounting Head	Actual Expenditure Incurred During the period Apr.2019 to Dec.2019. {Rs. In Lac}						Proposed Budget for the Fin. Yr. 2020 - 21{ Rs. In Lac}					
	HO	**ROD**	**ROR**	**ROK**	**ROH**	**Total Exp.**	**HO**	**ROD**	**ROR**	**ROK**	**ROH**	**Total Proposed Expenditure for Fin.Yr. 2020-21**
Capital Expenditure :												
Motor Vehicle Purchase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	**90.00**
Aqia Guard Cooler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	**2.00**
Land & Building	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**50.00**	250.00	0.00	100.00	100.00	0.00	**450.00**
Computer, Laptop & Printers	5.98	0.79	1.62	0.04	0.17	**8.60**	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	**30.00**
Furniture & Fixture	0.00	0.59	0.24	0.00	0.44	**1.27**	10.00	3.50	2.50	3.50	2.50	**22.00**
Coolers, Fan & AC	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	**0.22**	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	**12.00**
LCD Projector/ Video Conferancing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	30.00	1.50	1.00	1.50	1.00	**35.00**
Office Equipments	19.51	0.08	0.00	0.00	0.00	**19.59**	35.00	2.50	2.00	2.50	2.00	**44.00**
UPS, Invertor & Stablizer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	5.00	1.50	1.50	1.50	1.50	**11.00**
Fax, Epbax & Photocopier	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.29**	1.00	1.25	1.00	1.25	1.00	**5.50**
Laboratory Equipments-New	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	**0.98**	0.00	12.00	10.00	12.00	10.00	**44.00**
CAQMS (With AMC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**400.00**
Laboratory Equipments(PM 10 & 2.5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**50.00**
Add. New Monitoring Station Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**500.00**
Total	**75.95**	**2.49**	**1.86**	**0.04**	**0.61**	**80.95**	**1344.00**	**40.50**	**135.25**	**140.50**	**35.25**	**1695.50**

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 42 / XXXVIII-I–21–01(04) / 2019
देहरादूनः दिनांकः– 19 जनवरी, 2021

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 की उपधारा 2 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा–शर्तों को विनियमित करने हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–41 / XXXVIII-1–21–01(04) / 2019, दिनांक 19.01.2021 के द्वारा प्रख्यापित "**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा के निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2021**" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियाँ पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 41 /XXXVIII–1–21–01(04)/2019
देहरादून: दिनांक:– 19 जनवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 64 की उपधारा 2 के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या–VIP 18(2)/I(2)–व.ग्रा.वि /2002–13(5)2000, दिनांक 16.08.2002 एवं आदेश संख्या–3505/X–3–2008–13(5)2000, दिनांक 02.12.2008 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा–शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की अर्हता और सेवा के निबंधन तथा शर्तें) नियमावली, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ

2. इस नियमावली में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
(क) "अधिनियम" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अभिप्रेत है,
(ख) "उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है,
(ग) "अध्यक्ष" से उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(घ) "सदस्य सचिव" से उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

अध्यक्ष के रूप में पूर्णकालिक नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताए

3. कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन के लिये चयनित किये जाने के लिये तभी पात्र होगा, जब वह निम्न शर्तों को पूर्ण करता हो–

(1) **<u>शैक्षिक योग्यता:–</u>** लोक प्रशासन/विधि/विज्ञान/पर्यावरणीय विज्ञान/अभियांत्रिकी/पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य डिग्री प्राप्त किया हो।

विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री रखता हो।

(2) **वांछनीय शैक्षिक योग्यता:**– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान पर्यावरण विज्ञान से संबंधित विषय में डाक्टरेट की उपाधी प्राप्त की हो। पर्यावरण सरक्षण, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण, जल उपचार या वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में 10 वर्ष का अनुभव रखता हो एवं केन्द्र/राज्य सरकार में 16 वर्ष की सेवा की हो।

(3) वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय के अधीन कोई अधिकारी है और मूल कैडर या विभाग में लेवल–13 में नियमित रूप से पाँच वर्ष की सेवा की हो।

(4) **आयु सीमा**– आवेदक की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को न्यूनतम 40 वर्ष व 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भर्ती की पद्वति 8. सदस्य सचिव की नियुक्ति खोज सह–चयन समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:–

(1) अध्यक्ष– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

(2) सदस्य– अपर सचिव, कार्मिक विभाग।

(3) सदस्य– निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उत्तराखण्ड।

(4) तकनीकी सदस्य– एक विशेषज्ञ सदस्य, जो समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें 9. (1) सदस्य सचिव लेवल–15 में वेतन प्राप्त करेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, लेवल–15 हेतु अनुमन्य भत्ते, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण का समय, कार्यभार ग्रहण समय के वेतन, भविष्य निधि, उपदान इत्यादि का हकदार होगा।

(3) सदस्य–सचिव पद पर तैनाती की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, की होगी। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष अतिरिक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है।

DyNote & Drft/Env UEPPCB Chairman

(2) वह अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय के अधीन कोई अधिकारी है और मूल कैडर या विभाग में लेवल–16 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।

(3) **आयु सीमा**– आवेदक की अधिकतम आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भर्ती की पद्वति	4.	अध्यक्ष की नियुक्ति खोज–सह–चयन समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– (1) **अध्यक्ष**– मुख्य सचिव। (2) **सदस्य**– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। (3) **सदस्य**– प्रमुख सचिव/सचिव कार्मिक विभाग। (4) **तकनीकी सदस्य**– एक विशेषज्ञ सदस्य, जो मुख्य सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।
वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें	5.	(1) अध्यक्ष, रू0 67,000–79000 के वेतनमान में सातवें वेतन में लेवल–17) वेतन प्राप्त करेगा। उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, अध्यक्ष लेवल–17 हेतु अनुमन्य भत्ते, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण का समय, कार्यभार ग्रहण समय के वेतन, भविष्य निधि, उपदान इत्यादि का हकदार होगा। (2) अध्यक्ष पद पर तैनाती की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा आयु 63 वर्ष, जो भी पहले हो, की होगी। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल 02 वर्ष अतिरिक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है।
अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक नियुक्ति	6.	अध्यक्ष के नियमित नियुक्ति होने तक अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पदेन अध्यक्ष होंगे।
सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	7.	कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन सदस्य सचिव के रूप में नामनिर्देशन के लिये चयनित किये जाने के लिये तभी पात्र होगा, जब वह निम्न शर्तों को पूर्ण करता हो–

(1) **अनिवार्य शैक्षिक योग्यता**:– वह किसी मान्यता प्राप्त

D:\Nitin K Br\Env UEPPCB Chairman

अध्यक्ष / सदस्य सचिव की पदच्यूति	10.	वित्तीय अनियमितता / कदाचार आदि की स्थिति में अध्यक्ष / सदस्य–सचिव को उनके कार्यकाल से पूर्व राज्य सरकार हटा सकेगी।
नियमों को शिथिल करने की शक्ति	11.	जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह लिखित कारणों से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों हेतु, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

UEPPCB/HO/Gen-183-426/2020/ 1671-331, Date: 17.07.2020

Office Order

In exercise of the Powers conferred is under clause (d) of Section(2) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, The Uttarakhand Pollution Control Board is (herein after referred as Board) here by prescribed the following fuels as the "APPROVED FUELS" in the entire State of Uttarakhand.

List of "APPROVED FUELS"

i) Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ii) Liquefied Natural Gas (LNG)
iii) Low Sulphur Heavy Stock (LSHS) Fuel
iv) Piped Natural Gas (PNG)
v) High Speed Diesel (HSD)
vi) Bio Gas
vii) Bio-fuel (Agro based)
viii) Coal
ix) Wood
x) Perul (Pine needle)
xi) Refuse Derived Fuel (RDF): To be used in Cement kiln & Waste to Energy plant or any other unit allowed by the Central Government/State Government.

(1) For utilization of the above approved fuels, adequate air pollution control measures shall be provided by the unit. The unit shall ensure to obtain Environmental Clearance, Consent to Establish & Consent to Operate, as the case may be, for utilization of these fuels from competent authority.

(2) The use of Petcoke and Furnace oil fuel shall not be permitted for new industries in the State Uttarakhand.

(3) The industrial units presently using Pet-Coke/Furnace oil in the process with valid consent of the Board are required to switch over to above approved fuels by altering their plant & machinery alongwith adequate air pollution control system by 31-03-2024.

(Anand Bardhan)
I.A.S
Chairman

Copy to:

1. Chief Secretary, Uttarakhand Government for information please.
2. All Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Uttarakhand Government for information please.
3. Director General, State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd., Uttarakhand for information please.
4. Member Secretary, Central Pollution Control Board, Delhi for information please.
5. Director, Environment and Climate Change, Dehradun for information please.
6. All District Magistrates, Uttarakhand for information please.
7. Director, Industries Directorate, Uttarakhand for information pleases.
8. Regional Officer's, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun,Roorkee, Kashipur and Haldwani for information please.
9. All General Manager, District Industries Centre, Uttarakhand
10. All Industrial Associations, Uttarakhand
11. Guard File

Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii), संख्या का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

S.O. 94(E).—WHEREAS, *vide* notification number S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 (hereinafter referred as the said notification) the erstwhile Ministry of Environment and Forests imposed restriction on location of industries, mining operations and other developmental activities in the Doon Valley, bounded on the North by Mussoorie ridge, in the North-East by Lesser Himalayan ranges, on the South-West by Shivalik ranges, river Ganga in the South-East and river Yamuna in the North-West in erstwhile Uttar Pradesh (now Uttarakhand), keeping in view the environmental impact in the region;

AND WHEREAS, in respect of the said notification certain directions have been issued *vide* notification number S.O. 943 (E), dated the 4th July, 2005 and S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007;

AND WHEREAS, in the meantime the Central Pollution Control Board (CPCB) has also issued directions on the categorisation of industries *vide* letter No. B-29012/ ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016;

AND WHEREAS, the Government of Uttarakhand *vide* letter No. 122/D-3-19-13(04)/2018, dated the 10th April, 2019 requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for amendment in the said notification;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has examined the request of the Government of Uttarakhand;

AND WHEREAS, there is a need to consolidate the amendments and the directions as above and also to harmonise the conditions based on the said directions and amendments;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification and impose following conditions in respect of the activities falling the Doon Valley comprising of the above criteria, namely: -

In the said notification, for clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and ANNEXURE, the following shall be substituted, namely:-

"(i) **Location/siting of industrial units** – It has to be as per modified directions issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) *vide* letter No. B-29012/ESS(CPA)/2015-16, dated the 7th March, 2016 under section 18(1)(b) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding harmonization of classification of industrial sectors under red/orange/green/white categories and as may be amended from time to time by the CPCB and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(ii) **Mining** – Approval of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change must be obtained before starting any mining activity.

(iii) **Tourism** – It should as per Tourism Development Plan (TDP), to be prepared by the State Department of Tourism and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(iv) **Grazing** – As per the plan to be prepared by the State Government and duly approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(v) **Land Use** – As per Master Plan of development and Land Use Plan of the entire area, to be prepared by the State Government and approved by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Note:

(a) Red categories of industries shall not be permitted in Doon Valley;

(b) The total number of fuel burning industries that shall be permitted in the Doon Valley shall be limited by 8 tonnes per day of Sulphur Dioxide from all sources. (This corresponds to 400 tonnes per day Coal with 1 % Sulphur);

(c) Siting of Industrial areas shall be based on the prescribed criterion and with prior approval of Competent Authority;

(d) Existing orange categories industries, which are now in the red categories of industries shall be continued, however, no expansion shall be allowed.".

[F. No. 25/6/2012-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 102 (E), dated the 1st February, 1989.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

SPEED POST

F.No. B-29016/ROGW/IPC-VI/2020-21/ April 30th, 2020

To

The Chairman
All SPCBs/PCCs

SUB: DIRECTIONS UNDER SECTION 18(1)(b) OF THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 and THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 REGARDING HARMONIZATION OF CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL SECTORS INTO RED, ORANGE, GREEN AND WHITE CATEGORY.

WHEREAS, under Section 17 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, and under Section 17 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, one of the function of the State Pollution Control Boards (SPCBs)/Pollution Control Committees (PCCs) is to plan a comprehensive programme for the prevention, control or abatement of pollution of streams, wells and air pollution in the States/ Union Territory and to secure the execution thereof; and

WHEREAS, under Section 16 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 16 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, one of the functions of the Central Pollution Control Board (CPCB), constituted under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 is to coordinate activities of the State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees and to provide technical assistance and guidance to SPCBs / PCCs; and

WHEREAS, CPCB has categorized 242 industrial sectors into red, orange, green & white category and directed all SPCBs/PCCs on 07.03.2016 for its adoption and implementation. The SPCBs/PCCs were also directed that addition of any new or left-over industrial sectors and their categorization which is not listed in the categorization done by CPCB, shall be done by a committee at the level of concerned SPCB/PCC, in accordance with the revised criteria and guidelines of CPCB; and

WHEREAS, carrying out the responsibility assigned to MoEF&CC/CPCB/SPCB, under, Steel Scrap Recycling Policy, notified by Ministry of Steel on 07.11.2019, a meeting was held under chairmanship of Joint Secretary (HSM Division) at MoEF&CC on 07.11.2019 for uniform categorization of scrapping activities as Red/Orange/Green/White Category. During the meeting it was decided that such uniform categorization of scrapping centres has to be developed by CPCB. The CPCB has categorized "Scrapping Centres (for End of Life of Vehicles and other scraps such as plant and machineries, structural material, railway coaches and wagons etc.)" under "Orange Category" of industries; and

WHEREAS, a need was felt to categorize some industrial sectors on PAN-India level and to resolve anomalies in categorization, if any. Accordingly, CPCB through Office Order No. B-29012/IPC-VI/2019-20, dated 17.02.2020, constituted a Committee to deal with the matter related to categorization of industrial sectors under red/orange/green/white category; and

WHEREAS, the meetings of the Committee were held on 02.03.2020 at CPCB, Delhi and 15.04.2020 & 21.04.2020, through video conferencing. During the meeting, the categorization of Railway Stations, Compressed/Refined Bio-Gas Production from Bio-degradable Wastes and Used Cooking Oil (UCO) collection centers was finalized. The details regarding categorization are enclosed as **Annexure-I**. Further, based on the few representations, the Committee has also segregated the list of Non-Industrial Operations (Activities/ Facilities/ Infrastructure/ Services), which were covered under classification of industrial sectors in CPCB's document on categorization. The list of such Non-Industrial Operations is enclosed as **Annexure-II**.

NOW THEREFORE, in view of the above and exercising the powers conferred to Chairman, Central Pollution Control Board under Section 18(1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, and 18(1)(b) of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, all the SPCBs/PCCs are directed to:

i. Adopt the categorization finalized by CPCB for following sectors:

   a. Scrapping Centres (for End of Life of Vehicles and other scraps such as plant and machineries, structural material, railway coaches and wagons etc.).
   b. Used Cooking Oil (UCO) collection centers.
   c. Compressed/Refined Bio-Gas Production from Bio-degradable Wastes.
   d. Railway Stations.

ii. Consider the sectors given at Annexure-II under Non-Industrial Operations (Activities/ Facilities/ Infrastructure/ Services).

The SPCBs/PCCs shall acknowledge the receipt of directions and submit the action taken report (ATR) in compliance of these directions to CPCB within 15 days from the receipt of directions.

(Ravi S. Prasad)
Chairman

Copy to:

1 The Joint Secretary (CP Division)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Indira Paryavaran Bhawan
3rd Floor, Prithivi, Aliganj, Jor Bagh Road
New Delhi -110 003

2 All Regional Directors, CPCB

3 DH, IT : with a request to upload the copy of Directions on CPCB website

(Prashant Gargava)
Member Secretary

O/C

The list of newly categorized sectors by CPCB

S. No.	Entry at S. No. of respective category in CPCB's classification	Industry Sector	W1	W2	W	A1	A2	A	H.	Pollution Index (PI)	Category	Remarks
1	85	Scrapping Centres (for End of Life of Vehicles and other scraps such as plant and machineries, structural material, railway coaches and wagons etc.)									Orange	
		a. Collection, De-Pollution, Dismantling Centres and Shredding Centres	20	-	20	15	-	15	20	55	Orange	i. Process will generate waste water from vehicle washing, surface washing spillage while depolluting the vehicle ii. Emission of particulate matter. iii. Residue generated during the process needs stabilization before disposal as it may contain asbestos
		b. Collection, De-Pollution and Dismantling Centres	20	-	20	10	-	10	20	50	Orange	i. Process will generate waste water from vehicle washing, surface washing, etc. ii. Fugitive emission may be generated from dismantling and other activities iii. Residue generated during the process needs stabilization before disposal as it may contain asbestos
		c. Shredding Centres (can include white goods*/other scraps also)	15	-	15	15	-	15	15	45	Orange	i. Waste water may be generated from floor washing, etc ii. Residue generated may be incinerated/ landfilled. iii. Emission of particulate matter.

*Note- * Recycling/dismantling of white goods are covered under E-Waste (Management & Handling) Rules, 2016, and have already been categorised in CPCB document "Classification of Industrial Sector" (Feb. 2016)*

Annexure-I

S. No.	Entry at S. No. of respective category in CPCB's classification	Industry Sector	W1	W2	W	A1	A2	A	H	Pollution Index (PI)	Category	Remarks
2	37	Used Cooking Oil (UCO) collection centers	-	-	-	-	-	-	-	00	White	i Generally, there is no waste water generation or air emissions from UCO collection centers. ii. Concerned SPCB/PCC shall ensure the above.
3	86	Compressed/Refined Bio-Gas Production from Bio-degradable Wastes	30	-	30	10	-	10	10	50	Orange	i. All digesters requiring discharge of excess wastewater to be treated in orange category. ii. Domestic bio-digesters based on cow-dung or household biodegradable wastes (such as Gobargas plant) - White category iii. No wastewater discharge from digester and also feed slurry to digester having Volatile Organic Fraction more than 75% to be considered as Green category; iv. Wastewater may be generated from wet processes for gas refining, cooling towers and cooling re-circulation processes. v. Odour generation from pretreatment of organic waste and composting. vi. Exhausted adsorption media/ filters and spent solvents may also get generated.

S. No.	Entry at S. No. of respective category in CPCB's classification	Non-Industrial Operations (Activities/Facilities/Infrastructure/Service sector)	W1	W2	W	A1	A2	A	H	Pollution Index (PI)	Category	Remarks
1	Railway Stations											
	61	Railway Stations (Waste Water Generation ≥ 100 KLD)	20	10	30	15	0	15	10	75	Red	i. Mainly water polluting, scores are normalized. Wastewater generating from public toilets, public-taps, platform and apron washing, coach cleaning, laundry, restaurants etc. ii. Air emissions may be generated from boilers, DG sets (>1MVA), railway sidings etc iii. Small amount of hazardous waste such as used oil from DG sets, waste oil from coach cleaning, etc. may be generated
	84	Railway Stations (Waste Water Generation ≥ 10 KLD, but < 100 KLD)	20	0	20	12	0	12	10	50	Orange	i. Mainly water polluting, scores are normalized. Waste water generating from various uses such as public toilets, public-taps, platform and apron washing, restaurants etc. ii. Air emissions may be generated from railway sidings, DG sets etc. iii. Small amount of hazardous waste such as used oil from DG sets etc. may be generated
	64	Railway Stations (Waste Water Generation < 10 KLD)	12	0	12	0	0	0	0	30	Green	i. On small railway stations, waste water generation mainly from public taps and toilets. Scores are normalized ii. Small railway stations normally may not have boilers or any other prominent stationary air emission sources.

Annexure-II

List of Non-Industrial Operations (Activities/Facilities/Infrastructure/Services)

Covered Under Red Category of Industries Earlier				
Sl. No.	Sl. No. (as per CPCB Document)	Industry Sector	Pollution Index	Remarks
1	23	Airports and Commercial Air Strips	75	i. The Airports are generating mainly the wastewaters. ii. This is the water pollution normalized score for airports having discharge more than 100 KLD. iii. The airports / strips having discharge less than 100 KLD will have score of 50 and hence orange category. iv. If the score is normalized wrt water + HW both, then all the airports will come under Orange category (score - 58.33).
2	30	Health-care Establishment (as defined in BMW Rules)	75	i. Mainly water polluting. ii. The water pollution score is normalized to 100 & valid for Hospitals having total waste-water generation > 100 KLD. iii. The hospitals with incinerator will be categorized as Red irrespective of the quantity of the wastewater generation. iv. The hospitals having total waste-water generation less than 100 KLD and without incinerator, the normalized water pollution score will be 50 and will be categorized as Orange category.
3	31	Hotels having overall wastewater generation @ 100 KLD and more.	75	i. Mainly water polluting. Small boiler may be installed. ii. The water pollution score is normalized to 100 & valid for Hotels having waste-water generation > 100 KLD. iii. The hotels having more than 20 rooms and waste-water generation less than 100 KLD and having a coal/ oil fired boiler, the pollution score will be 35/40 & are categorized as orange. iv. The hotels having more than 20 rooms and waste-water generation less than 10 KLD and having no-boiler & no hazardous waste generation, the pollution score will be 20 & are categorized as Green.
4	39	Railway locomotive work shop/Integrated road transport workshop/ Authorized service centers	75	i. Mainly water polluting industry. Water is used in the washing of locomotives, road transport vehicles during servicing. ii. This score is valid for those Centers having discharge more than 100 KLD. iii. Service Centers having waste-water generation < 100 KLD, the normalized score will be =(100*20)/40= 50.
5	46	Ports and harbour, jetties and dredging operations	85	This category contain all sorts of pollution
6	-	Common treatment and disposal facilities (CETP, TSDF, CBMWTF, effluent conveyance project, incinerator, MSW sanitary land fill site)	-	i. All such facilities are classified as Red but special category projects as these are parts of pollution control facilities. ii. In case of CETP, the categorization will depend upon the category of member industries being served.

		Note: Solvent/acid recovery plant and E-waste recycling are considered as industrial operation.		

List of Sectors Covered Under Orange Category of Industries Earlier

Sl. No.	Sl. No. (as per CPCB Document)	Industry Sector	Pollution Index	Remarks
1	18	Automobile servicing, repairing and painting (excluding only fuel dispensing)	50	Normal water & air polluting and recyclable waste oil generating. If the waste water generation is more than 100 KLD, it will become mainly water polluting and Red category unit.
2	21	Building and construction project more than 20,000 sq. m built up area	50	i. In the pre-construction stage, it is mainly air polluting due to generation of dust (PM) emissions. ii. After construction, it is mainly water polluting. If the discharge is more than 100 KLD, it will be having the normalized score of 75 and be categorized as Red.
3	38	Hotels (< 3 star) or hotels having > 20 rooms and less than 100 rooms.	50	Mainly water polluting. WP score is normalized to 100.
4	46	Mechanized laundry using oil fired boiler	50	Both air and water pollution are generated.
5	50	New highway construction project	50	Mainly air polluting project.

List of Sectors Covered Under Green Category of Industries

Sl. No.	Sl. No. (as per CPCB Document)	Industry Sector	Pollution Index	Remarks
1	19	Facility of handling, storage and transportation of food grains in bulk	25	Some fugitive emissions of PM during handling of grains.
2	52	Hotels (up to 20 rooms and without boilers)	30	This score is valid for hotels having overall waste-water generation less than 10 KLD.
3	58	Flyash export, transport & disposal facilities	37.5	i. This is mainly air polluting activity. ii. This is the normalized score based on air pollution.
4	59	Mineral stack yard / Railway sidings	37.5	Mainly air pollution due to loading, unloading, storage and transportation of the minerals.
5	60	Oil and gas transportation pipeline	37.5	i. Contains small gas based power plants up-to 5 MWs. ii. Air pollution score is normalized to 100. iii. In case, if these power plants are bigger / liquid fuel / oil based, scores will be calculated accordingly.
6	-	Diesel generator sets (15 KVA to 1 MVA)	-	i. Normal operation -- 12 hrs a day. ii. Consumption of diesel = 1680 litres for 1 MVA DG set at full load @ 0.21 litres / KVA / hr. iii. Stand-alone DG Sets having total capacity 1 MVA or less and equipped with acoustic enclosures alongwith adequate stack height may be exempted from the purview of Consent management. Higher capacity DG sets have already been covered under Red / Orange categories .
7	-	Automobile fuel outlets (only dispensing)	-	Minor air pollution due to some fugitive emissions during fuel filling operations. May be exempted from the purview of Consent management.

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा राज्य बोर्ड की 26वीं बैठक दिनांक 23.02.2021 में गैर औद्योगिक श्रेणी में चिन्हित प्रक्रियाओं के वर्गीकरण, श्रेणी एवं सहमति शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया :-

गैर औद्योगिक श्रेणी हेतु निर्धारित सहमति शुल्क वर्ष 2021-22 से लागू होगा। ऐसे गैर औद्योगिक प्रक्रियों जो उपरोक्त प्रस्ताव पारित होने से पूर्व संचालित हैं उन्हें पूर्व का कोई सहमति शुल्क नहीं देना होगा एवं सहमति शुल्क की देयता 01.04.2021 से होगी। अनुमोदित प्रस्ताव की प्रति बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उपरोक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों हेतु सहमति शुल्क के निर्धारण के आधार को वर्तमान व्यवस्था के बजाय Pollution Index एवं विभिन्न श्रेणियों में प्रदूषण के लोड के आधार पर किया जाय। जिस हेतु बोर्ड के अधिकारियों की समिति बनाते हुए सुविचरित प्रस्ताव अगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाये।

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

यूकेपीसीबी/एच.ओ./26वीं बो0 बै0/सा0-06/2021/ 7390-1493 दिनांक 02 .03.2021

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तकनीकी), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वैज्ञानिक), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्री पी0 के0 जोशी, पर्यावरण अभियंता /डा0 अंकुर कंसल, पर्यावरण अभियंता/श्री सोमपाल सिंह, पर्यावरण अभियंता/श्री सुभाष चन्द्र पंवार, सहा0 पर्यावरण अभियंता/श्री अनुराग नेगी, सहा0 पर्यावरण अभियंता उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून/रूड़की/काशीपुर/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

UKPCB/ROR
Diary No. 3364
File No. ....
Date 06/3/21

SAO
AEE (SA/ JRFS)
आवश्यक कार्यवाही
10.03.2021

(सुदर्शन एस0 पाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

गैर औद्योगिक श्रेणी में चिन्हित प्रक्रियाओं के वर्गीकरण, श्रेणी एवं सहमति शुल्क का निर्धारण।

S. N.	Non-Industrial operations (Activities/ Facilities/ Infrastructure/ Service Sectors)	Pollution Index	Proposed Consent to Establish and CCA fresh Fee including Hazardous Authorisation Fee	Proposed CCA renewal Fee including Hazardous Authoriosation Fee (per Year)
1	Railway Stations (Waste Water generation ≥ 100 KLD	75 (Red)	Rs 50,000/- each	RS 25000/-
	Railway Stations (Waste Water generation ≥ 10 KLD, but < 100 KLD	50 (Orange)	Rs 25000/- each	Rs 15000/-
	Railway Stations (Waste Water generation < 10, KLD	30 (Green)	Rs 10000/- each	Rs 5000/-
2	Building and construction project having built up area up to 20,000 sq. m and waste water generation ≥ 50 KLD and less than 100 KLD	50 (Orange)	Rs 50000/- each	Rs 25000/-
	Building and construction project having built up area more than 20,000 sq. m with waste water generation ≥ 100 KLD	75(Red)	Rs 100,000/-	Rs 50,000/-
	Building and construction project having built up area less than 20,000 sq. m with waste water generation ≥ 10 KLD, but < 50 KLD	Green	Rs 10, 000/- each	Rs 5000/-
3	Construction and Demolition (C&D) Waste processing Plants	50 (Orange)	Rs 50000/- each	Rs 25000/-
4	Airports and Commercial Air Strips with waste water generation > 100 KLD	75 (Red)	Rs 100,000/-	Rs 50,000/-
5	Airports and Commercial Air Strips with waste water generation < 100 KLD	50 (Orange)	Rs 50000/- each	Rs 25000/-
6	Health-care Establishment (as defined in BMW Rules) if waste water generation is > 100 KLD or the hospital is having incinerator irrespective of any amount of waste water generation	75 (Red)	Already Decided	Already decided
7	Health-care Establishment (as defined in BMW Rules) if waste water generation is less than 100 KLD	50 (Orange)		
8	Hotels having overall wastewater generation @ 100 KLD and more.	75 (Red)	Already decided	Already decided
9	Hotels (< 3 star) or hotels having > 20 rooms and less than 100 rooms, and waste water generation is less than 100 KLD and having coal /oil fired boiler	40 (Orange)		
10	Hotels (up to 20 rooms and without boilers) and having overall waste water generation less than 10 KLD and no hazardous waste and no boiler	20 (Green)		
11	Home Stay, Guest House with total rooms are 6 or less	White	Rs 1000/-	Not Applicable
12	Railway locomotive work shop/Integrated road transport workshop/Authorized service centres with waste water generation more than 100 KLD	75 (Red)	Rs 75000/- each	Rs 50000/-
13	Railway locomotive work shop/Integrated road transport workshop/Authorized service centres with waste water generation less than 100 KLD	50 (Orange)	Rs 50000/- each	Rs 25000/-
14	Common treatment and disposal facilities (CETP, TSDF, CBMWTF, effluent conveyance project, incinerator, MSW sanitary land fill site) Note: Solvent/acid recovery plant and E-waste recycling are considered as industrial operation.	Red	Rs 100,000/- each	Rs 75,000/-
15	Automobile servicing, repairing and painting with waste water generation more than 100 KLD (excluding only fuel dispensing)	75 (Red)	Rs 75000/- each	Rs 50,000/-
16	Automobile servicing, repairing and painting with waste water generation less than 100 KLD (excluding only fuel dispensing)	50 (Orange)	Rs 50,000/- each	Rs 25000/-
17	Automobile servicing, repairing and painting with waste water generation less than 10 KLD (excluding only fuel dispensing)	Green	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
18	Mechanized laundry using oil fired boiler	50 (Orange)	Rs 50,000/- each	Rs 25,000/-
19	Mechanized laundry without using oil fired boiler	Green	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-

S. N.	Non-Industrial operations (Activities/ Facilities/ Infrastructure/ Service Sectors)	Pollution Index	Proposed Consent to Establish and CCA fresh Fee including Hazardous Authorisation Fee	Proposed CCA renewal Fee including Hazardous Authoriosation Fee (per Year)
20	New highway construction project	50 (Orange)	Rs 75000/- each	Rs 50,000/-
21	Facility of handling, storage and transportation of food grains in bulk	25 (Green)	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
22	Flyash export, transport & disposal facilities	37.5 (Green)	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
23	Mineral stack yard/Railway sidings	37.5 (Green)	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
24	Oil and gas transportation pipeline.	37.5 (green)	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
25	Automobile fuel outlets (only dispensing)	-	Not Applicable	Not Applicable
26	Gold Assaying and Hallmarking Centres	58.33 (Orange)	Rs 50,000/- each	Rs 25,000/-
27	Dairy	50 (Orange)	Rs 50,000/- each	Rs 25,000/-
28	Dairy farms (with 15 animal or more)	43.75 (Orange)	Rs 15,000/- each	Rs 5,000/-
29	Gaushalas	37.5 (Green)	Rs 1,000/- each	Rs 500/-
30	Boarding Schools and other educational institutes having Hostel facility/ PG/ with total Boarders more than 1000 Boarders	Red	Rs 100,000/- each	Rs 50000/-
31	Boarding Schools and other educational institutes having Hostel facility/ PG with total Boarders > 100 and < 1000	Orange	Rs 50,000/- each	Rs 25000/-
32	Boarding Schools and other educational institutes having Hostel facility/ PG/ with total seats < 100	Green	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
33	Ashrams and Dharamshala with more than 100 KLD waste water generation	Red	Already decided	Already decided
34	Ashrams and Dharamshala with waste water generation > 10 KLD and less than 100 KLD	Orange		
35	Ashrams and Dharamshala with less than 100 KLD waste water generation	Green		
36	Kolhus	Orange	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
37	Restaurant having > 200 seats	Orange	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
38	Restaurant having more than 20 seats and less than 200 seats	Green	Rs 5,000/- each	Rs 1000/-
39	Restaurants having less than 20 seats	White	Rs 1000/-	Not Applicable
40	Banquette hall/ Wedding Points	Green	Rs 10,000/- each	Rs 5000/-
41	Almirah, Grill Manufacturing Micro scale/ cottage units involved in spray painting	Green	Rs 5,000/- each	Rs 1000/-
	All White Category Units		Rs 1000/-	Not Applicable